[2020] 8 एस सी आर 165

श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी

वी.

आय कर अधिकारी

(2009 की सिविल अपील सं. 7865)

29 जुलाई, 2020

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961:

एसएस। 40 (क) (आई. ए.) और 194 सी-निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए-लागू होने का दायरा-स्रोत पर कर की कटौती-द्वारा विफलता निर्धारिती, माल के परिवहन के लिए अपने अनुबंध के उद्देश्य से निर्धारिती द्वारा लगाए गए ट्रक ऑपरेटरों को भुगतान करते समय

ऐसे भुगतान के कारण निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौती

एस. 40 (क) (ia), निर्धारिती की कुल आय की गणना करते समय विचाराधीन भुगतान को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है-अपीलीय न्यायाधिकरण जैसा कि उच्च न्यायालय ने भी प्राधिकरणों के निष्कर्षों की पुष्टि की-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः माल के परिवहन के लिए प्रेषक कंपनी के साथ निर्धारिती का अनुबंध ट्रक ऑपरेटर के साथ अनुबंध के बिना पूरा नहीं किया जा सकता था-इस प्रकार ट्रक ऑपरेटरों ने एस के उद्देश्य के लिए 'उप-ठेकेदार' के विवरण का उत्तर दिया।

प्रश्नगत निर्धारण वर्ष के लिए लागू होगा अर्थात 2005-2006-प्रश्नगत भुगतानों को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है निर्धारिती की कुल आय की गणना करते समय कटौती।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. द्वारा किए गए अनुबंध की प्रकृति

प्रेषक कंपनी के साथ अपीलकर्ता यह स्पष्ट करता है कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी को प्रेषक कंपनी के माल (सीमेंट) का परिवहन करना था और इस अनुबंध को निष्पादित करने के लिए, अपीलार्थी ने परिवहन वाहनों, अर्थात् ट्रकों को विभिन्न प्रचालक/मालिकों से किराए पर लिया। अपीलार्थी को प्रेषक कंपनी से माल ढुलाई शुल्क प्राप्त हुआ, जिसने वास्तव में स्रोत पर कर की कटौती की।

अपीलार्थी को ऐसा भुगतान करना। इसके बाद, अपीलार्थी ने उन व्यक्तियों को शुल्क का भुगतान किया जिनके वाहन माल के परिवहन के उक्त कार्य के उद्देश्य से किराए पर लिए गए थे।

प्रचालक/मालिक। इस तरह के अनुबंध को लिखित रूप में कम किया गया था या नहीं, इसकी शायद ही कोई प्रासंगिकता है। प्रदत्त परिदृश्य और स्थापना में, उक्त ट्रक संचालकों/मालिकों ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 सी (2) के उद्देश्य से ठेकेदार (यानी, अपीलार्थी) द्वारा किए गए पूरे या काम के हिस्से को पूरा करने के लिए "उप-ठेकेदार" के विवरण का जवाब दिया। इस प्रकार, धारा 194 सी के प्रावधान लागू थे और निर्धारिती-अपीलार्थी माल के परिवहन के अपने व्यवसाय के उद्देश्य से वाहनों को किराए पर लेने के लिए उसके द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए बाध्य था। [पैरा 15.1 और 20] [197-जी-एच] [198-ए-सी; 220-डी-ई]

पालम गैस सेवा बनाम। आय आयुक्त-कर (2017) 394 आई. टी. आर. 300-पर भरोसा किया।

आय आयुक्त-कर बनाम। हरदर्शन सिंह

(2013) 350 आईटीआर 427-विशिष्ट।

2.1 अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत अस्वीकृति केवल बकाया राशि और इस प्रावधान तक ही सीमित नहीं है

यह उन खर्चों के संबंध में लागू होता है जो निर्धारिती द्वारा पहले ही किए जा चुके और भुगतान किए जा चुके थे। धारा 194 सी को "कर संग्रह और वसूली" विषय पर अधिनियम के अध्याय XVII में रखा गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं कि -

धारा 194 सी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और उनका पालन किया जाता है, साथ ही चूक के परिणामों के लिए भी प्रावधान किया जाता है। धारा 200 में विशेष रूप से श्री चौधरी परिवहन कंपनी v को कर कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्यों का प्रावधान है।

आय कर अधिकारी

इस आशय का विवरण जमा करें और जमा करें। द.

कर की कटौती या भुगतान करने में विफलता के परिणाम तब अधिनियम की धारा 201 में प्रदान किए जाते हैं जो ऐसे चूक करने वाले व्यक्ति को "कर के संबंध में चूक करने वाला निर्धारिती" की श्रेणी के अलावा अन्य परिणाम जो उसे भुगतने पड़ सकते हैं। [पैरा 16] [200 डी-एफ]

2.2 . धारा 40 (ए) (आई. ए.) उस मामले में चूक के परिणामों का प्रावधान करती है जहां किसी भी पर स्रोत पर कर कटौती योग्य है।

निर्धारित समय) इस तरह से कि इस तरह के ब्याज, कमीशन, दलाली या शुल्क की राशि की कटौती "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" के तहत प्रभार्य आय की गणना में नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में, इसकी गणना निर्धारिती की आय के रूप में की जाएगी क्योंकि वह स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने में चूक करता है। कर के संग्रह और वसूली से संबंधित प्रावधानों की समग्र योजना में, यह स्पष्ट है कि धारा 40 के खंड (ए) के उपखंड (आई. ए.) जैसे प्रावधानों को लागू करने में विधायिका का उद्देश्य स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता का सख्त और समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करना था। में अधिनियम की धारा 40 (ए) के खंड (आई. ए.) में यह प्रावधान किया गया था कि जहां टी. डी. एस. के लिए संदर्भित राशि के संबंध में

आवश्यकता, कर किसी भी बाद के वर्ष में काटा गया है, या पिछले वर्ष के दौरान काटा गया है लेकिन किसी भी में भुगतान किया गया है

धारा 200 (1) में निर्धारित समय की समाप्ति के बाद के वर्ष में, ऐसी राशि को उस पूर्व वर्ष की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसा कर का भुगतान किया गया है। [पैरा 16.1 और 16.2] [200-एफ-एच; 201-ए-सी]

आय आयुक्त-कर बनाम। कलकत्ता निर्यात

कम्पनीः (2018) 404 आई. टी. आर. 654-निर्भर।

2.3 "देय" शब्द का उपयोग अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) में केवल भुगतान के प्रकार या प्रकृति को इंगित करने के लिए किया गया है।

निर्धारिती इसमें निर्दिष्ट प्राप्तकर्ताओं को निर्देश देते हैं। दूसरे शब्दों में, "देय" शब्द उन भुगतानों का वर्णन करता है जो स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायित्व को आकर्षित करते हैं और इसका उपयोग इस आधार पर किसी विशेष वर्ग के चूक को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया गया है कि क्या भुगतान किया गया है या

नहीं। यह कहना सही नहीं है कि "देय" अभिव्यक्ति को "भुगतान" अभिव्यक्ति के विपरीत पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 43 (2) में "भुगतान" शब्द की परिभाषा का संदर्भ अपीलार्थी के लिए कोई सहायक नहीं है। [पैरा 16.11] [209-G-H]

* पालम गैस सेवा बनाम। आय-कर आयुक्तः

(2017) 394 आई. टी. आर. 300-निर्भर।

जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारीः

(1994) 4 एस. सी. सी. 276 विशिष्ट।

पी. एम. एस. डीजल और अन्य। वी. आय-कर आयुक्तः

(2015) 374 आई. टी. आर. 562-स्वीकृत।

पी. एम. एस. डीजल और अन्य। वी. आय-कर आयुक्तः (2015) 374 आई. टी. आर. 562; आय-कर आयुक्त, कोलकाता-XI v. क्रेसेंट एक्सपोर्ट सिंडिकेटः (2013) 216

टैक्समैन 258; इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ

भारत बनाम. प्राइस वाटरहाउस (1997) 93 टैक्समैन 588 -

संदर्भित किया गया।

संदेह केवल तभी किया जाता है जब लिया गया दृष्टिकोण, बड़ी पीठ या किसी वैधानिक के किसी बाध्यकारी निर्णय के अनुरूप नहीं दिखाया जाता है। प्रावधान या समान प्रकृति का कोई अन्य कारण। अदालत ने पाया

कोई नहीं। [पैरा 16.8] [206-एफ-एच]

2.5 यह सही नहीं है कि अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) का दायरा धारा 194 सी के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। अनुभाग 40 (क) (आई. ए.) एकल प्रावधान नहीं है, बल्कि अधिनियम की धारा 201 में बताए गए अतिरिक्त परिणामों में से एक प्रदान करता है।

अधिनियम के अध्याय XVII के भाग B में निहित प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन में किसी व्यक्ति द्वारा चूक के लिए। इन प्रावधानों की योजना यह स्पष्ट करती है कि इसमें निहित प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन में चूक

अधिनियम के अध्याय XVII का भाग B (जिसमें धारा 194C, 200 और 201 शामिल हैं) अन्य बातों के साथ-साथ धारा के परिणाम की ओर ले जाता है। 40 ((क) अधिनियम की धारा। इसलिए, श्री चौधरी परिवहन कंपनी की धारा 40 (ए) (आई. ए.) की रूपरेखा v.

आय कर अधिकारी

अधिनियम को केवल धारा 194 सी, 200 और 201 सहित अधिनियम के अध्याय XVII के भाग बी में निहित प्रावधानों की आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयुक्त रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जब अधिनियम की धारा 194 सी का दायित्व इसकी नींव है

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) द्वारा प्रदत्त परिणाम, संदर्भ पूर्व के लिए उत्तरार्द्ध की व्याख्या में अपरिहार्य है। [पैरा 16.10] [207-D-F]

3.1 . आयकर मामलों में, लागू होने वाला कानून यह है कि विचाराधीन निर्धारण वर्ष में लागू है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

स्पष्ट इरादे से या आवश्यक निहितार्थ से। के अनुसार 1961 के अधिनियम की धारा 4 के तहत आयकर का प्रभार है -

किसी भी निर्धारण वर्ष के संदर्भ में, किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में, इस उद्देश्य के लिए किसी भी केंद्रीय अधिनियम में प्रदान की गई दर या दरों पर। अभिव्यक्ति

" अधिनियम की धारा 3 में पिछले वर्ष को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है 'निर्धारण वर्ष से तुरंत पहले का वित्तीय वर्ष' और 'निर्धारण वर्ष' अभिव्यक्ति को अधिनियम की धारा 2 के खंड (9) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है 'बारह महीने की अवधि'।

हर साल अप्रैल के पहले दिन से शुरू होता है। उपखंड (आई. ए.) को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 01.04.2005 से अधिनियम की धारा 40 के खंड (ए) में जोड़ा गया था। विचाराधीन प्रावधान,

01.04.2005 से प्रभावी होने के बाद, मूल्यांकन वर्ष 2005-2006 से और उसके लिए आवेदन करेगा और विचाराधीन मूल्यांकन के लिए लागू होगा। विधायिका ने जानबूझकर बनाया

अधिनियम की धारा 40 (ए) का उक्त उपखंड (आई. ए.) 01.04.2005 से प्रभावी है, जिसका अर्थ है कि वही लागू होना था। निर्धारण वर्ष 2005-2006 से और उसके लिए; और न तो व्यक्त इरादा था और न ही कोई निहितार्थ था कि यह केवल वित्तीय वर्ष 2005-2006 से लागू होगा। [पैरा 17.4,17.1 और 17.6] [210-बी-डी; 208-डी]

3.2 . अधिनियम की धारा 194 सी के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता पहले से ही मौजूद थी और यह सीमा थी

अपीलार्थी का कर्तव्य है कि वह टी. डी. एस. की ऐसी कटौती करे और उसे राजस्व में बदले। धारा 201 भी अस्तित्व में थी जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कटौती करने में चूक अपीलार्थी को "चूक में निर्धारिती" बना देगी। अपीलार्थी यह सुझाव नहीं दे सकता है कि भले ही उसके द्वारा किए गए भुगतानों पर टी. डी. एस. का दायित्व मौजूद था [2020] 8 एस. सी. आर.

धारा 194 सी (2) के आधार पर, वह ऐसे दायित्व का तभी सम्मान करता जब वह चूक के गंभीर परिणाम से अवगत होता कि इस तरह के भुगतान की कटौती मूल्यांकन तैयार करने के उद्देश्य से नहीं की जाएगी। [पैरा 17.7] [211-एच; 212-ए-बी]

3.3 . विचाराधीन संशोधन द्वारा, अधिनियम की धारा 40 (ए) में खंड (आई. ए.) को इस आशय के प्रावधान के साथ जोड़ा गया था कि जहां, टी. डी. एस. की आवश्यकता के लिए संदर्भित राशि के संबंध में, कर की कटौती किसी भी बाद के वर्ष में की गई है, या पिछले वर्ष के दौरान की गई है, लेकिन धारा 200 (1) में निर्धारित समय की समाप्ति के बाद किसी भी बाद के वर्ष में भुगतान किया गया है, ऐसी राशि को उस पिछले वर्ष की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी जिसमें ऐसा कर का भुगतान किया गया है। परंतुक ने किसी भी वास्तविक निर्धारिती के मामले का प्रभावी ढंग से ध्यान रखा जो स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता का ईमानदारी से पालन करेगा। द.

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के प्रावधानों के माध्यम से छूट को बाद के विभिन्न तरीकों से संशोधित किया गया था।

वास्तविक कठिनाइयों को और कम करने के लिए संशोधन

मूल्यांकनकर्ता। [पैरा 17.7। 1] [212 - सी-ई]

3.4 यदि अधिनियम की धारा 40 (ए) का उपखंड (आई. ए.) केवल वित्तीय वर्ष 2005-2006 से लागू होता है, तो परिणाम होगा

जिसे वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 ने भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की। राष्ट्रपति की सहमति की उक्त तिथि भारत से वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 प्रश्नगत प्रावधान के लागू होने की तारीख नहीं है, क्योंकि विशिष्ट तिथि 01.04.2005 के रूप में प्रदान की गई है। बेशक, उक्त तिथि 01.04.2005 (यानी, मूल्यांकन वर्ष 2005-2006) से शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष से संबंधित है। [पैरा 18] [212-जी-एच; 212-ए-बी] श्री चौधरी परिवहन कंपनी बनाम।

आय कर अधिकारी

3.6 भले ही यह माना जाए कि धारा 40 (ए) (आई. ए.) की आवश्यकताएँ 10.09.2004 पर ज्ञात हो गईं, अपीलार्थी कटौती करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता था या, किसी भी मामले में,

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के परंतुक में उपलब्ध छूट के अनुसार, उसी वित्तीय वर्ष के दौरान या बाद के वर्ष में भी राजस्व में टी. डी. एस. राशि का भुगतान करने के लिए, अपीलार्थी ने बस अपने दायित्व से परहेज किया और यह सुझाव देने का प्रयास किया कि स्रोत पर कर की कटौती करने का उसका कोई दायित्व नहीं था। अपीलार्थी का ऐसा दृष्टिकोण, जब कानून के साथ टकराव में खड़ा होता है, तो अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत अस्वीकृति का परिणाम अपरिहार्य रहता है। [पैरा 18.1] [212-बी-सी]

3.7 अपीलार्थी का यह कहना सही नहीं है कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 के माध्यम से संशोधन, जिसके द्वारा

धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत अस्वीकृति को देय राशि के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है, जिसे पूर्वव्यापी माना जाना चाहिए। यह संशोधन विशेष रूप से डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2015 पर लागू किया गया था और यह स्पष्ट रूप से विधायिका की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है कि मूल्यांकन वर्ष 2015-2016 से किसी विशेष घटना के लिए क्या कटौती की जानी है या किस प्रतिशत की कटौती की अनुमति नहीं दी जानी है। [पैरा 19 और 19.2] [212-डी; 216-ई]

आय आयुक्त-कर बनाम। कलकत्ता एक्सपोर्ट कंपनी (2018) 404 आईटीआर 654-विशिष्ट।

3.8 निर्धारिती-अपीलार्थी या तो इस गलत धारणा के तहत काम कर रहा था कि उसे टी. डी. एस. काटने की आवश्यकता नहीं थी या

इस गलत धारणा के तहत कि एक को विभाजित करने की पद्धति रुपये से कम के भागों में भुगतान। 20,000 / - उसे अधिनियम के प्रावधानों की कठोरता से बचने के लिए प्रदान करेगा

बाद में। जाहिर है, अपीलार्थी उन लाभों को प्राप्त नहीं कर सकता था जो अन्यथा उपचारात्मक द्वारा उपलब्ध थे। 2008 और 2010 के संशोधन। हर स्तर पर चूक करने के बाद,

निर्धारिती-अपीलार्थी की ओर से वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 द्वारा अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के संशोधन में कुछ सहायता लेने के प्रयास को केवल पूरी तरह से आधारहीन के रूप में खारिज किया जा सकता है।

बल्कि बेतुका। [पैरा 19.6] [220-ए-सी] [2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

करीमथारूवी टी एस्टेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य (1966)

60 आई. टी. आर. 262 का पालन किया गया।

आय आयुक्त-कर, पश्चिम बंगाल बनाम। इस्थमियन स्टीमशिप लाइन्स (1951) 20 आई. टी. आर. 572-पर निर्भर था।
पी. आई. यू घोष बनाम आय उपायुक्त-कर और राजस्व

ओआरएस। (2016) 386 आई. टी. आर. 322-स्वीकृत नहीं।

4. निर्धारिती की कुल आय की गणना करते समय विचाराधीन भुगतानों को कटौती से उचित रूप से मना कर दिया गया है।

अपीलार्थी। न्यायालय अपीलार्थी के साथ पूर्वाग्रह या कानूनी शिकायत का कोई मामला नहीं पाता है। सर्वप्रथम, अधिनियम के अध्याय 4 के भाग डी में कटौती की अस्वीकृति से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) और 40 ए. (3) में निहित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधानों का उद्देश्य अन्य प्रावधानों की आवश्यकता के उचित अनुपालन को लागू करना है।

जाहिर है, एक वास्तविक निर्धारिती के हित की रक्षा की, जिसने आवश्यकता के अनुसार कटौती की थी और राजस्व को उसी का भुगतान किया था। अपीलार्थी इस प्रकार का लाभ उठाने में विफल रहा है। छूट भी, अब कथित कठिनाई की शिकायत नहीं उठा सकती है। तीसरा, अपीलार्थी ने ट्रक माल खाते में कुल भुगतान रुपये दिखाया था। 1,37,71,206 / - और कंपनी से कुल प्राप्तियाँ

रु. में। 1,43,90,632 / - . जिस चीज की अनुमति नहीं दी गई है वह रुपये की राशि है। 57,11,625 / - जिस पर अपीलकर्ता स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल रहा और न कि कंपनी से प्राप्त या ट्रक ऑपरेटरों/मालिकों को भुगतान की गई पूरी राशि।

[पैरा 21] [221-ए-ई] श्री चौधरी परिवहन कंपनी बनाम। आय कर अधिकारी

मामला कानून संदर्भ

(2013) 350 आईटीआर 427

प्रतिष्ठित

पैरा

15.3

(2017) 394 आईटीआर 300

पैरा

15.4

उस पर भरोसा करें

(2018) 404 आईटीआर 654

उस पर भरोसा करें

पैरा

16.3

(2017) 394 आईटीआर 300

पैरा

16.4

उस पर भरोसा करें

(2015) 374 आईटीआर 562

संदर्भित किया गया है

पैरा

16.5

(2015) 374 आईटीआर 562

मंजूरी मिल गई।

पैरा

16.5। 1

(2013) 216 टैक्समैन 258

संदर्भित किया गया है

पैरा

16.5। 1

(1994) 4 एस. सी. सी. 276

प्रतिष्ठित

पैरा

16.11

(1997) 93 कर अधिकारी 588

पैरा

16.11

संदर्भित किया गया है

(2016) 386 आईटीआर 322

मंजूरी नहीं मिली

पैरा

17.1

(1951) 20 आईटीआर 572

उस पर भरोसा करें

पैरा

17.5

(1966) 60 आईटीआर 262

पीछा किया।

पैरा

17.5

(2018) 404 आईटीआर 654

प्रतिष्ठित

पैरा

19

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 780

2009 से।

राजस्थान के 15.05.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 की डी. बी. आयकर अपील सं. 164 में जोधपुर में उच्च न्यायालय।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., वी. शेखर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पुनीत जैन, एच.]

थानवी, ऋषि मटोलिया, सुश्री क्रिस्टी जैन, शशांक शेख सुश्री शीतल राजपूत, शारदा कुमार सिंघानिया, सुश्री प्रवीणा गौतर सुश्री पूर्णिमा भट काक, सुश्री सिद्धार्थ सिन्हा, अभिषेक महाराजा श्रीमती अनिल कटियार, बी. वी. बलराम दास अधिवक्ता। उपस्थित पार्टी [2020] 8 एस. सी. आर. के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

प्रारंभिक

1. इस अपील के माध्यम से, निर्धारिती-अपीलार्थी ने आयकर अपील सं. 1 में पारित दिनांकित आदेश पर सवाल उठाया है।

164 2008 के जिसके तहत, जोधपुर में राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जोधपुर पीठ द्वारा आई. टी. ए. संख्या 117/जे. यू./2008 में पारित आदेश के खिलाफ अपील को संक्षेप में खारिज कर दिया है। और इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए निर्धारिती-अपीलार्थी की कुल आय की गणना को भुगतान की अस्वीकृति के साथ बरकरार रखा है। से रु. 57,11,625 / - , अनिवार्य रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के संदर्भ में, निर्धारिती-अपीलार्थी की स्रोत 2 पर अपेक्षित कर की कटौती करने में विफलता के लिए।

2. हम मूल बिंदु को ध्यान में रखते हुए मामले के प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं।

इस अपील में निर्धारण, यानी कि क्या विचाराधीन भुगतानों को अपीलार्थी की कुल आय की गणना में कटौती से उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है?

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू; विवादित

मूल्यांकन का क्रम

3. प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलुओं की एक संक्षिप्त रूपरेखा में, यह हो सकता है

यह देखा कि निर्धारिती-अपीलार्थी, एक साझेदारी फर्म, ने मैसर्स आदित्य सीमेंट लिमिटेड, शंभूपुरा, जिले के साथ अनुबंध किया था चित्तौड़गढ़ 3 भारत में विभिन्न स्थानों पर सीमेंट के परिवहन के लिए। चूंकि अपीलार्थी के पास अपने परिवहन वाहन नहीं थे, इसलिए उसने इस उद्देश्य के लिए अन्य परिवहनकों की सेवाओं को नियुक्त किया था। सीमेंट विपणन

मेसर्स आदित्य सीमेंट लिमिटेड के प्रभाग, अर्थात् मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टी. डी. एस. की उचित कटौती के बाद अपीलार्थी को परिवहन शुल्क के लिए भुगतान किया, जैसा कि मैसर्स आदित्य सीमेंट लिमिटेड द्वारा जारी प्रपत्र संख्या 16 ए में दिखाया गया है।

कंपनी। 4. 28.10.2005 पर, निर्धारिती-अपीलार्थी ने निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए अपना विवरणी दाखिल किया, जिसमें कुल आय रु। 2,89,633 / - में

1 इसके बाद '1961 का अधिनियम' या केवल 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है। 2 " स्रोत पर काटे गए कर को 'टीडीएस' कहा जा रहा है।

3 इसके बाद इसे "प्रेषक कंपनी" या "कंपनी" के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी v. आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

'परिवहन' के व्यवसाय से उत्पन्न होने वाला वित्तीय वर्ष 2004-2005

अनुबंध '।

5. मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा अवधि के लिए रखे गए प्रेषण रजिस्टर की जांच की।

01.04.2004 आई. डी. 1 तक, जिसमें किराए पर लिए गए ट्रकों, किराए की तारीख, बिल्टी और चालान संख्या, माल ढुलाई और कमीशन शुल्क, देय शुद्ध राशि, भुगतान की तारीखें और प्रत्येक ट्रक के गंतव्य आदि के संबंध में सभी विवरण शामिल हैं। रजिस्टर की सामग्री ने यह भी संकेत दिया कि प्रत्येक ट्रक को एक के तहत केवल एक गंतव्य पर भेजा गया था

चालान/बिल्टी; और यदि एक ट्रक को फिर से किराए पर लिया जाता है, तो इसे अलग-अलग चालान/बिल्टी के अनुसार उसी या अन्य गंतव्य/यात्रा पर भेजा जाता है। अपीलार्थी द्वारा ट्रक संचालकों/मालिकों से लिया गया कमीशन रुपये से लेकर था। 100 / - रु. तक। 250 / -प्रति यात्रा।

5.1 . अपने समक्ष रखे गए अभिलेख की सामग्री को सत्यापित करने पर, एओ ने पाया कि ट्रक ऑपरेटरों/मालिकों को भुगतान करते समय, अपीलार्थी ने स्रोत पर कर की कटौती नहीं की थी, भले ही शुद्ध भुगतान रुपये से अधिक हो। 20,000 / - . इसके बाद, अपीलार्थी को दिनांक 05.11.2007 का एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ट्रक ऑपरेटरों/मालिकों को भुगतान की गई राशि, उस पर टीडीएस और सरकारी खाते में जमा करने की तारीख का विवरण आवश्यक था। जवाब में, आई. डी. 1 और आई. डी. 2 दिनांकित अपने पत्रों के माध्यम से, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि किराए पर लिए गए ट्रक अलग-अलग ऑपरेटरों/मालिकों के थे जो उप ठेकेदार या ठेकेदार नहीं थे; कि वे भारत के विभिन्न हिस्सों से आए थे और उन्हें ज्यादातर डीजल और अन्य चलने वाले खर्चों के लिए नकद भुगतान की आवश्यकता थी; कि अपीलार्थी पर स्रोत पर कर की कटौती करने का कोई दायित्व नहीं था क्योंकि उसने रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया था। 20,000 / - एकल लेन-देन में; और

कि धारा 40 (ए) (आई. ए.) के प्रावधान अपीलार्थी पर लागू नहीं थे। 5.2 . दिनांक 1 का निर्धारण आदेश तैयार करते समय, एओ ने पाया कि विभिन्न ट्रक ऑपरेटरों/मालिकों को भुगतान सीधे अपीलकर्ता फर्म द्वारा किया गया था, न कि प्रेषक कंपनी द्वारा; कि अपीलकर्ता फर्म अनुबंध के अनुसार कंपनी के माल के परिवहन के लिए जिम्मेदार थी, जिसके लिए अपीलकर्ता को कंपनी से स्रोत पर कर की कटौती के बाद भुगतान प्राप्त हुआ था। एओ ने यह भी देखा कि अपीलकर्ता फर्म ने माल ढुलाई शुल्क का भुगतान किया

इस प्रकार अर्जित आय से ट्रक संचालक/मालिक; और शेष राशि को कमीशन के रूप में दिखाया गया था। पक्षों के लेन-देन की प्रकृति को देखते हुए, एओ ने देखा कि दोनों पक्षों के बीच एक अनुबंध मौजूद था।

परिवहन के लिए प्रत्येक चालान/चालान के संबंध में अपीलार्थी और ट्रक संचालक/मालिक। एओ ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या 715 दिनांकित 'आईडी1' का भी उल्लेख किया, ताकि यह देखा जा सके कि प्रत्येक माल रसीद को एक अलग अनुबंध माना जा सकता है। यह देखते हुए कि एक अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है, एओ ने कहा कि जब मामले में ट्रक ऑपरेटरों/मालिकों को ठेकेदार नहीं माना जाना था, तो वे निस्संदेह अपीलार्थी के उप-ठेकेदार थे। एओ ने यह भी बताया कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी के साथ अपीलकर्ता फर्म के समझौते की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी।

5.3 . उसके सामने रखी गई सामग्री को देखने के बाद, एओ ने कहा

ट्रक संचालक/मालिकों को भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपीलार्थी की जिम्मेदारी पर जहां ऐसा भुगतान रुपये से अधिक है। 20,000 / - एकल बिल्टी/चालान या माल रसीद पर निम्नलिखित शब्दों में:

" निर्धारिती फर्म के प्रेषण रजिस्टर के साथ-साथ नकदी

पुस्तक स्पष्ट रूप से संदेह से परे स्थापित करती है कि ट्रक को भुगतान

निर्धारिती फर्म वह व्यक्ति था जो कर की कटौती के लिए जिम्मेदार था अधिनियम की धारा 194 सी के अर्थ के भीतर स्रोत।

चूंकि माल का परिवहन ट्रकों और हर ट्रक द्वारा किया जाता था

अधिनियम की धारा 194 सी और बोर्ड के परिपत्र में कहा गया है, और निर्धारिती को भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए थी।

धारा 194 सी (3) के प्रावधानों के अनुसार ट्रक ऑपरेटरों को

वह अधिनियम जहाँ जमा की गई या भुगतान की गई या होने की संभावना वाली किसी राशि की राशि

ठेकेदार या उप के खाते में जमा या भुगतान किया जाए

ठेकेदार बीस हजार रुपये से अधिक हो गया।

***

*

**

***

ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से

अंतिम स्थिति यह उभर रही है कि के प्रावधानों को देखते हुए

अधिनियम की धारा 194 सी में निर्धारिती कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी था

ट्रक मालिकों/परिचालकों को भुगतान करते समय स्रोत जहाँ

इस तरह का भुगतान रुपये से अधिक था। 20,000 / - एकल बिल्टी/के आधार पर चालान या जीआर। ”

5 ' सी. बी. डी. टी. 'संक्षेप में आर. ई. ई. चौधरी परिवहन कंपनी v. आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]5.4 . प्रेषण रजिस्टर, पुस्तक और भुगतान वाउचर में निहित विवरण की जांच करने के बाद, एओ ने पाया कि ट्रक ऑपरेटर को भुगतान करते समय अपीलार्थी द्वारा कर की कटौती नहीं की गई थी, भले ही एक माल रसीद (चालान/रुपये की राशि से अधिक) के तहत भुगतान किया गया हो। 20,000 / - . इसके बाद, निर्धारिती

लैंट को यह समझाने के लिए बुलाया गया था कि कटौती का दावा क्यों किया गया

आय से इस तरह के भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगीअधिनियम के 40 (ए) (आई. ए.) पर। मूल्यांकन के क्रम में, एओ ने लिया

की ओर से की गई विभिन्न प्रस्तुतियों से निपटना और निपटना

इस संबंध में अपीलार्थी को निम्नानुसार देखें -

" चूंकि निर्धारिती ट्रक मालिकों/संचालकों को रुपये से अधिक का भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल रहा। 20,000 / - , द.

निर्धारिती से यह बताने के लिए कहा गया कि कटौती का दावा क्यों किया गया आय से इस तरह के भुगतान के खाते की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के अर्थ के भीतर। निर्धारिती फर्म के विद्वान वकील ने कहा कि कोई भुगतान नहीं किया गया था

रुपये से अधिक। 20,000 / - . इस संबंध में उन्होंने नकद पुस्तिका के उद्धरण की फोटोकॉपी और भुगतान वाउचर भी प्रस्तुत किए जो इंगित करते हैं

कि प्रत्येक भुगतान रुपये से अधिक हो। 20,000 / - नकद पुस्तिका में दो भागों में दिखाया गया था, हालांकि एक ही तारीख को भुगतान किया गया था और निर्धारिती

इस तरह के भुगतान के लिए दो अलग-अलग वाउचर बनाए केवल एक देने के लिए

यह धारणा कि ट्रक मालिकों/संचालकों को भुगतान नहीं किया गया था

रुपये से अधिक। 20,000 / - . इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है।

कि केवल दो में एक चालान/दंड का भुगतान दिखाकर

निर्धारिती फर्म पूर्ण रूप से सत्यापित और सत्यापन योग्य होती है और टी. डी. एस. के अधीन होती है और ट्रक मालिकों/ऑपरेटरों को भुगतान निर्धारिती फर्म द्वारा ऐसी प्राप्तियों से किया जाता है और जैसे कि आगे टी. डी. एस. की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा कि निर्धारिती फर्म तैयार करती है कंपनी से भुगतान का दावा करने के लिए बिल

विभिन्न ट्रक मालिकों/संचालकों को देय माल ढुलाई शुल्क और

जब ऐसे बिलों के आधार पर भुगतान प्राप्त होता है, तो आगे

ट्रक मालिकों/संचालकों को भुगतान किया जाता है और नाममात्र कमीशन निर्धारिती द्वारा बरकरार रखा जाता है और इसलिए, भुगतान [2020] 8 एस. सी. आर.

ट्रक मालिकों/संचालकों को दिया गया कार्य इसके दायरे से बाहर था

अधिनियम की धारा 194 सी। उन्होंने आगे कहा कि यह व्यावहारिक नहीं है

संचालक क्योंकि कोई भी ट्रक मालिक टी. डी. एस. के बाद भुगतान स्वीकार नहीं करता है। निर्धारिती फर्म की ओर से दिया गया यह तर्क नहीं है

स्वीकार्य क्योंकि धारा 194 सी (1) स्पष्ट रूप से कहती है कि-"कोई भी

किसी भी निवासी को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति।

निर्धारिती फर्म भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थी

ट्रक मालिक संचालक, यह अनिवार्य था

निर्धारिती का ऐसा करते समय स्रोत पर कर की कटौती करना भुगतान करें। इसके अलावा दोनों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है

कंपनी और ट्रक मालिकों/संचालकों और इस प्रकार यह नहीं कर सकते

कहा जा सकता है कि निर्धारिती फर्म के बीच एक मध्यस्थ था

कंपनी और ट्रक मालिक/संचालक।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

5.5 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एओ ने अनुमति देने से इनकार कर दिया

ट्रक संचालकों/मालिकों को किए गए भुगतान की सीमा0,000 / - टी. डी. एस. के बिना, जो कुल मिलाकर रु. 57,11,625 / - ; निर्धारिती-अपीलार्थी की कुल आय में इसे वापस कर दिया।

ओ ने रुपये की एकमुश्त राशि की भी अनुमति नहीं दी। 20,000 / - विभिन्न खर्चों से

लाभ और हानि खाते में भेजा गया और मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया गया,

नीचे की तरहः

" इसलिए, धारा 194 सी के प्रावधानों पर विचार करते हुए, धारा

40 (a) (ia) और बोर्ड का परिपत्र संख्या 715, दिनांक 08.8.1995,

20,000 / - स्रोत पर कर की कटौती किए बिना अनुमति नहीं है और जोड़ा जाता है निर्धारिती फर्म की कुल आय पर वापस जाएँ जो काम करती है

रु. 57,11,625 / - , ऊपर। निर्धारिती ने कुल भुगतान दिखाया है

रुपये में ट्रक माल खाते में। 1,37,71,206 / - और कुल प्राप्तियाँ कंपनी से रु। 1,43,90,632 / - .

निर्धारिती ने रुपये की कमीशन आय दिखाई है। 6,23,300 / - पर

जिसका शुद्ध लाभ रु। 2,89,694 / - एन. पी. देते हुए दिखाया गया है

में घोषित 46.47% की एन. पी. दर 50.91% की तुलना में

रुपये की कमीशन आय पर तत्काल पिछले वर्ष। 6,00,450 / - . इस वर्ष घोषित एन. पी. दर कम है। विचार करें।

लाभ और हानि में डेबिट किए गए विभिन्न खर्चों की प्रकृति

कर्मचारी कल्याण खर्च, टेलीफोन खर्च जैसे खाते,

यात्रा व्यय, मोटर साइकिल मरम्मत आदि जहां भागीदारी आर. ई. ई. चौधरी परिवहन कंपनी v.

आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

व्यक्तिगत तत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है, रुपये की एकमुश्त अस्वीकृति। 20,000 / - घोषित आय में किया जाता है।

आयकर आयुक्त (अपील), जोधपुर के समक्ष

6. निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकार पारित आदेश से व्यथित होकर, उप-अपीलार्थी ने आयोग के आयुक्त के समक्ष अपील की।एन. ई. कर (अपील), 2007-08 की अपील संख्या 183 होने के नाते, वह था

15.01.2008 पर डीयर्ड और खारिज किया गया।

6.1 . सी. आई. टी. (ए) ने अभिलेख की फिर से जांच की और अपीलार्थी के इस कथन को खारिज कर दिया कि उसे केवल कमीशन की आय प्राप्त हुई थी और उसे किए गए भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

मालिकों ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन कियाः

" भौतिक तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, यह देखा जाता है कि अपीलार्थी ने माल के परिवहन के लिए एक अनुबंध किया है। (सीमेंट) मैसर्स अदितिया सीमेंट लिमिटेड के साथ अनुबंध का सम्मान करने के लिए, अपीलार्थी ने सीमेंट के परिवहन के उद्देश्य से पूरे वर्ष विभिन्न ट्रकों को किराए पर लिया। अपीलार्थी को मेसर्स अदितिया सीमेंट लिमिटेड से माल ढुलाई शुल्क प्राप्त हुआ जिस पर कर काटा गया था। अपीलार्थी माल के परिवहन के बाद व्यक्तिगत ट्रक मालिकों को माल ढुलाई शुल्क का भुगतान करता था। ट्रक मालिकों/संचालकों के बीच कोई सांठगांठ नहीं थी और

मेसर्स अदितिया सीमेंट लिमिटेड। अपीलार्थी माल (सीमेंट) का परिवहन कैसे करता था, यह इसका अनन्य क्षेत्र था अपीलकर्ता फर्म। ऐसी परिस्थितियों में, मैसर्स अदितिया सीमेंट लिमिटेड से अपीलार्थी द्वारा प्राप्त सकल माल ढुलाई

अपीलार्थी फर्म की सकल आय का प्रतिनिधित्व करता है। तब से

अपीलार्थी ने विभिन्न ट्रक मालिकों को भुगतान किया /

प्रचालक। इस तरह के भुगतान व्यय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हो सकता है

यहां उल्लेख किया जा सकता है कि ट्रक मालिकों/संचालकों को भुगतान माल के परिवहन के बाद ही किया गया था।

उन्हें दिए गए गंतव्यों पर संतोषजनक रूप से। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता फर्म और ट्रांसपोर्टरों के बीच एक अनुबंध या उप-अनुबंध मौजूद था। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 194 सी के साथ पठित धारा 40 (ए) (आई. ए.) के प्रावधानों के अर्थ के भीतर ट्रक चालकों/मालिकों को किए गए भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती करने की आवश्यकता थी। किसी भी परिस्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को केवल प्राप्त हुआ था

(ए) 'संक्षेप में [2020] 8 एस. सी. आर.

कमीशन आय और इसलिए धारा 194 सी के प्रावधान हैं: लागू नहीं होता "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

6.2 . इस तर्क के संबंध में कि अपीलार्थी की आवश्यकता नहीं थी

स्रोत पर कर की कटौती करना जब कोई भुगतान रुपये से अधिक न हो। 20,000 / - , सी. आई. टी. (ए) ने पाया कि अपीलार्थी ने अपनी सुविधा के लिए और अधिनियम की धारा 40 ए (3) की कठोरता से बचने के लिए भुगतान को दो भागों में विभाजित करने का विकल्प चुना था, लेकिन इस तरह के विभाजित भुगतान की प्रविष्टियां उपलब्ध थीं।

लगातार कैश बुक में। इस प्रकार, इस तरह से स्वीकार नहीं करते हुए

पद्धति, सी. आई. टी. (ए) ने पाया कि विभाजित भुगतानों में भी, अपीलार्थी को अंतिम भुगतान करते समय कर की कटौती करने की आवश्यकता होती है। सी. आई. टी. (ए) का प्रासंगिक अवलोकन निम्नानुसार है:

“ तथ्यों का अध्ययन किया गया है और यह देखा गया है कि अपीलार्थी ने किस व्यक्ति के अनुसार भुगतान किया

ट्रक मालिकों को भुगतान रुपये से अधिक नहीं था। 20,000 / - . में।

दूसरे शब्दों में, भुगतान को दो भागों में विभाजित किया गया था। हालांकि,

अपीलार्थी रुपये का भुगतान दिखाता है। 14,750 / - और रु. 10,510 / - सीमेंट के परिवहन के लिए ट्रक No.RJ14-G-5599 तक

भटिंडा में सीमेंट कंपनी का परिसर। वैसा ही।

कैशबुक पेज भी रुपये का भुगतान दिखाता है। 14,750 / - और रु. 9,431 / - सीमेंट के परिवहन के लिए ट्रक No.RJ23-G-3041 तक। यह वह है

तर्क दिया कि चूंकि व्यक्तिगत भुगतान रुपये से अधिक नहीं था।

20,000 / - , धारा 194 सी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उस पर भौतिक तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए यह देखा गया है कि

सुविधा और धारा के प्रावधानों की कठोरता से बचने के लिए 40 ए (3) ने भुगतान को दो भागों में विभाजित किया। हुआ था।

भुगतान वास्तव में दो भागों में किया गया था, दोनों प्रविष्टियाँ होनी चाहिए

लगातार नहीं रहा है। यह भी समझ में नहीं आता है कि क्यों

ट्रक मालिक अनुबंध पूरा करने के बाद, स्वीकार करेंगे

दो भागों में भुगतान केवल एक कहानी है, जो सक्षम है न तो तथ्यों पर और न ही व्यवहार्यता पर।

यह श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी वी के लिए भी आश्चर्यजनक है। आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ध्यान दें कि किसी भी मामले में अपीलार्थी ने पूरी तरह से भुगतान नहीं किया किसी भी ट्रक का मालिक पूरे वर्ष Rs.20,000/से अधिक है। ”

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

6.3 . सी. आई. टी. (ए) ने इस प्रश्न की भी विस्तार से जांच की कि क्या

परिवहन अनुबंध स्रोत पर कर की कटौती के अधीन थे और अधिनियम की धारा 194 सी के स्पष्टीकरण (iii) के खंड (सी) के साथ-साथ सीबीडीटी परिपत्र संख्या के संदर्भ में भी। 558 दिनांक आई. डी. 1 और 681 दिनांक आई. डी. 2 ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 194 सी के प्रावधान माल के परिवहन के अनुबंधों पर लागू होते हैं और अपीलार्थी को स्रोत पर कर की कटौती करने की आवश्यकता होती है यदि सकल जमा या भुगतान या जमा या भुगतान किए जाने की संभावना रुपये की सीमा से अधिक है। 20,000 / - . यह पता चलने पर कि अपीलार्थी का मामला पूरी तरह से प्रावधानों के अंतर्गत आता है

अधिनियम की धारा 194 सी के तहत, सी. आई. टी. (ए) ने कहा कि अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के अनिवार्य प्रावधानों को देखते हुए, कुल आय की गणना करते समय विचाराधीन भुगतानों को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, सी. आई. टी. (ए) ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित करते हुए अपील को खारिज कर दियाः

" अतः यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का मामला स्पष्ट था।

धारा 194 सी के प्रावधानों के अंतर्गत आता है और इसलिए,

भुगतान करते समय स्रोतों पर कर की कटौती करना आवश्यक था। ट्रक मालिकों के लिए।

धारा 40 (ए) (आई. ए.) के प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि यदि कोई राशि

किसी भी कार्य को करने के लिए ठेकेदार या उप-ठेकेदार को देय

जिस पर अध्याय XVII-B के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जाती है और ऐसा कर नहीं काटा गया है या कटौती के बाद नहीं काटा गया है।

पिछले वर्ष के दौरान या उसके बाद के वर्ष में भुगतान किया गया

धारा की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित समय की समाप्ति

200 , गणना करते समय ऐसी राशि को कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कुल आय। जैसा कि देखा जा सकता है, प्रावधान अनिवार्य हैं।

किसी भी उचित कारण के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। उपरोक्त पूरी चर्चा के आलोक में, मेरा मानना है कि

कुल माल ढुलाई भुगतान पर Rs.57,11,625/-। चूंकि अपीलार्थी स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल Rs.57,11,625/- की राशि सही थी

एल. डी. द्वारा अस्वीकृत। एओ। एल. डी. ए. ओ. ने सही कहा

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए) के प्रावधान। अतः दिए गए

तथ्यों के साथ-साथ कानून में भी, अपील का आधार विफल रहता है। "[2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जोधपुर पीठ के समक्ष

7. पुनः व्यथित होकर, अपीलार्थी ने आगे की अपील में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जोधपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया, जो आई. टी. ए. नं.

117 / जेयू/2008। आई. टी. ए. टी. द्वारा इस अपील पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया।

इसके दिनांकित आदेश का 29.08.2008।

7.1 . आई. टी. ए. टी. ने बताया कि दिनांक 16.07.2008 के एक आवेदन द्वारा, अपीलार्थी ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी, अर्थात

मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच दिनांकित समझौते को निष्पादित किया गया और चूंकि विभाग को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए इसे दिनांकित आदेश द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया, अपीलकर्ता फर्म के भागीदार के शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य के प्रवेश के लिए एक अन्य आवेदन पर विभाग द्वारा आपत्ति जताई गई और इसे खारिज कर दिया गया।

7.2 . आई. टी. ए. टी. ने पाया कि विचाराधीन समझौता मूल से मूल आधार पर था जिसके तहत, अपीलार्थी को निम्न कार्य से सम्मानित किया गया था -

शंभुपुरा से सीमेंट का परिवहन, लेकिन चूंकि अपीलार्थी के पास कोई ट्रक नहीं था, इसलिए उसने सीमेंट के परिवहन के लिए अन्य ट्रक ऑपरेटरों/मालिकों की सेवाएं ली थीं और ऐसा लेनदेन अपीलार्थी और ट्रक ऑपरेटर/मालिक के बीच एक अलग अनुबंध था। इसलिए आई. टी. ए. टी. ने निम्नलिखित शब्दों में ए. ओ. और सी. आई. टी. (ए) के निष्कर्षों का समर्थन कियाः

" 13. अभिलेख पर समझौते के अवलोकन से पता चलता है कि निर्धारिती को मेसर्स द्वारा कार्य अनुबंध प्रदान किया गया था। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स का एक सीमेंट विपणन प्रभाग है। आदित्य सीमेंट लिमिटेड यह समझौता मूल से मूल आधार पर था जिसके द्वारा अपीलार्थी

उन्हें सीमेंट परिवहन कार्य से सम्मानित किया गया था और समझौते के संदर्भ में काम का दायरा राजस्थान राज्य में नियमित आधार पर शंभूपुरा में उनके संयंत्र से सीमेंट परिवहन के लिए ट्रकों की नियुक्ति को शामिल करना था। यदि निर्धारिती संविदात्मक दायित्व के अनुसार ट्रक प्रदान करने में विफल रहता है, तो कंपनी प्रचलित कीमतों पर बाजार से ट्रक किराए पर लेने के लिए स्वतंत्र थी और खर्च की राशि, यदि कोई हो, निर्धारिती को डेबिट की जानी थी।

उसे एक ट्रांसपोर्टर बताते हुए। निर्धारिती ने मेसर्स द्वारा उसे दिए गए उपरोक्त कार्य अनुबंध को पूरा करते हुए केवल एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में कार्य किया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मान लीजिए, अपीलार्थी के पास ले जाने के लिए अपने स्वयं के ट्रक नहीं थे

7 ' आई. टी. ए. टी. 'संक्षेप में री चौधरी परिवहन कंपनी v. आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के परिसरों से माल उठाने और उसे परिवहन करने के लिए अन्य ट्रक मालिकों/ऑपरेटरों की सेवाएं ली हैं। राजस्थान में विभिन्न स्थल। माल रसीद [जी. आर.]/बिल्टी तैयार की गई थी

और इसे अपीलार्थी और ऐसे ट्रक मालिकों/संचालकों के बीच एक अनुबंध के रूप में लिया जाना था। बोर्ड परिपत्र सं. 715 दिनांक आई. डी. 1 के माध्यम से इस आशय का स्पष्टीकरण राजस्व द्वारा रिकॉर्ड में लाया गया है और मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया गया है ताकि विशेष माल/रसीद/बिल्टी के तहत ले जाए गए माल को एक अलग अनुबंध के रूप में माना जा सके। अपीलार्थी द्वारा ट्रक संचालकों/मालिकों को इस तरह के अनुबंध के असाइनमेंट को मेसर्स द्वारा निर्धारिती को दिए गए काम को पूरा करने के लिए एक उप अनुबंध के रूप में उचित रूप से लिया गया था। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अनुभाग के प्रावधान

194 °C ऐसे भुगतानों के प्रति विधिवत आकर्षित थे जो किए गए हैं

प्रत्येक माल रसीद/बिल्टी के तहत दायित्व के कारण भुगतान किया गया/जमा किया गया या भुगतान किए जाने की संभावना थी। मूल्यांकन प्राधिकरण ने पाया है

ऐसे अनुबंध जिनमें कुल रुपये का भुगतान शामिल है। 20,000 / - एक विशेष दिन पर रु। 57,11,625 / - . अधिनियम की धारा 194°सी में निहित स्पष्ट प्रावधानों के आलोक में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक अनुबंध के कारण वास्तव में भुगतान की गई या जमा की गई या भुगतान की जाने वाली राशि दोनों रुपये से अधिक हैं। 20,000 / - एक ही दिन में। धारा 194 सी ठीक ही लागू पाई गई है। हम, इसलिए, एल. डी. द्वारा की गई कोई गलती न पाएँ। सी. आई. टी. (ए)

अभिनिर्धारित करना कि निर्धारिती ने करने में चूक की है

रुपये तक के कुल भुगतान के संबंध में कटौती। 57,11,625 /

- स्रोत पर कर की कटौती के बिना।

7.3 . आई. टी. ए. टी. ने इस तर्क को भी नकार दिया कि उस समय तक

परिपत्र संख्या 5 दिनांक 15.07.2005 से, टी स्रोत के भुगतान का समय समाप्त हो गया था और यह कि धारा 40 (ए) (आई. ए.) केवल

मूल्यांकन वर्ष 2006-2007 से केबल और से नहीं

सीमेंट वर्ष 2005-2006। आई. टी. ए. टी. ने इस प्रावधान का भी उल्लेख किया किअधिनियम के 40 (ए) (आई. ए.) पर और इंगित किया कि इसके तहत, निर्धारिती अगले वर्ष में ऐसे व्यय की कटौती प्राप्त करने के लिए बाध्य है।

एच टीडीएस वास्तव में सरकार को भुगतान किया गया था। आई. टी. ए. टी. ने देखा कि

घ. निम्नलिखित परिच्छेद में आयन में प्रावधान की प्रयोज्यता और उस पर परंतुक के प्रभाव से संबंधित इन दो पहलुओं के बारे में बताया गया हैः

20] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल 15-7-2005 पर जारी किया गया था जिस तारीख तक भुगतान का समय था स्रोत पर कर की अवधि भी समाप्त हो गई है और इस तरह यह तर्क दिया गया था

कि अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) में निहित प्रावधान

हालाँकि, हम इस तरह से प्रचार किए गए दृश्य की सदस्यता नहीं लेते हैं मूल्यांकनकर्ता। वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2004 ने एक

अधिनियम की धारा 40 में संशोधन करके इसे लागू किया गया है।

01/04/2004 (sic)। चूँकि यह संशोधन बंद होने से पहले आया था

कानून में 31/03/2005 पर समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का

पुस्तकों में, निर्धारिती को इसके बारे में अज्ञानी नहीं माना जा सकता है

जारी किया गया केवल स्पष्टीकरणात्मक है। की धारा 40 में संशोधन अधिनियम निर्धारिती के दावा करने के अधिकार को नहीं छीनता है

आने वाले सभी समय के लिए ऐसे खर्चों के लिए कटौती। यह केवल आदेश देता है

कि संबंधित वर्ष में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

जो स्रोत पर कर की कटौती और भुगतान करने का दायित्व था लेकिन निर्धारित समय की समाप्ति से पहले इसका भुगतान नहीं किया गया है।

अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा (1) के तहत। यह भी था

परंतुक खंड जिसके द्वारा निर्धारिती प्राप्त करने का पात्र था

बाद के वर्ष में ऐसे व्यय की कटौती जिसमें स्रोत पर काटे गए इस तरह के कर का वास्तव में भुगतान किया गया है। द.

अतः निर्धारिती द्वारा उठाई गई याचिका दावे का समर्थन नहीं करती है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

7.4 . आई. टी. ए. टी. ने आगे इस तर्क को खारिज कर दिया कि

लाभ और हानि खाते में व्यय नहीं लिया जाता था और केवल कमीशन को आय के रूप में दिखाया जाता था। आई. टी. ए. टी. ने पाया कि दो अलग-अलग लेखा पुस्तकों में केवल प्रतिबिंब अलग और अलग उपचार के लिए योग्य नहीं होगा क्योंकि माल ढुलाई भुगतान और माल ढुलाई शुल्क दोनों में भाग लेते हैं।

एक ही चरित्र। तदनुसार, आई. टी. ए. टी. ने अपील को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय के समक्ष

8. एक बार फिर व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 2008 की डी. बी. आयकर अपील सं. 164 में

8 निष्कर्षण आई. टी. ए. टी. के आदेश की टाइप की गई प्रति से है, जिसे अनुलग्नक पी-5 (कागजी पुस्तक के पृष्ठ 84 पर) के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है, लेकिन इस तिथि पर स्पष्ट मुद्रण संबंधी त्रुटि है क्योंकि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 40 का संशोधन "01.04.2005" से लागू किया गया था। संबंधित तिथि के प्रभाव और निहितार्थ की जांच प्रश्न संख्या 3 इन्फ्रा में की गई है।

आईटीएटी। हालाँकि, इस प्रकार दायर की गई अपील को उच्च न्यायालय द्वारा अपने संक्षिप्त आदेश दिनांक 15.05.2009 द्वारा संक्षेप में खारिज कर दिया गया था, जो निम्नानुसार हैः

ट्रक मालिक और सीमेंट कारखाना। अनुबंध के अनुसार अपीलार्थी और सीमेंट कारखाने के बीच, सीमेंट का परिवहन करना अपीलार्थी की जिम्मेदारी थी, और इसके लिए अपीलार्थी ने ट्रक मालिकों की सेवाओं को काम पर रखा, जाहिर है उप

ठेकेदार। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम न्यायाधिकरण के विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील यह है कि -

संक्षेप में खारिज कर दिया। ”

9. इस प्रकार, उपरोक्त कार्यवाहियों का शुद्ध परिणाम यह था कि ए. ओ., सी. आई. टी. (ए) और आई. टी. ए. टी. के सुसंगत विचार, कि ट्रक संचालकों/मालिकों को किए गए भुगतान की कटौती की अनुमति निर्धारिती-अपीलार्थी की कुल आय की गणना करते समय नहीं दी जा सकती है, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

अपीलार्थी

10. उच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से इस प्रकार पारित आदेश को स्वीकार करते हुए अपील को खारिज करने के साथ-साथ मूल्यांकन में व्यक्त किए गए विचार भी

और अपीलीय आदेश, निर्धारिती-अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष अधिनियम की धारा 194°सी के दायरे और प्रयोज्यता के साथ-साथ इसकी धारा 40 (ए) (आई. ए.) पर भी कई तर्कों का आग्रह किया है और तर्क दिया है कि इन प्रावधानों को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता था।

10.1 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है

मालिक, जिनके वाहन कार्य निष्पादित करने के लिए लगे हुए थे माल का परिवहन। यह तर्क दिया गया है कि धारा 194 सी (2) के तहत देयता केवल तभी उत्पन्न होती जब "उप ठेकेदार" को भुगतान किया जाता और वह भी "ठेकेदार द्वारा किए गए काम के पूरे या किसी भी हिस्से को ले जाने" के उद्देश्य से "अनुबंध के अनुसरण में"। द.

अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क होगा कि जब अपीलार्थी और ट्रक मालिकों के बीच कोई विशिष्ट अनुबंध नहीं था, जिनके वाहन अपीलार्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से और आवश्यकता के आधार पर किराए पर लिए गए थे, [2020] 8 एस. सी. आर.

धारा 194 सी (2) के अवयव संतुष्ट नहीं थे और स्रोत पर कर की कटौती का दायित्व अपीलार्थी पर नहीं लगाया जा सकता था।

देय या बकाया रहते हैं और उन खर्चों को नहीं जो पहले से ही भुगतान किए जा चुके थे। विद्वान वकील ने जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। वाणिज्यिक कर अधिकारीः (1994) 4 एस. सी. सी. 276; और अधिनियम की धारा 43 (2) में "भुगतान" शब्द की परिभाषा यह प्रस्तुत करने के लिए कि दो अभिव्यक्तियाँ "देय" और "भुगतान" पूरी तरह से अलग-अलग अर्थों की हैं। विद्वान वकील ने

2004 के वित्त (संख्या 2) अधिनियम को प्रस्तुत करने वाले विधेयक की सामग्री का उल्लेख किया गया है जिसमें "जमा या भुगतान" अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया था, लेकिन जैसा कि अधिनियमित प्रावधान में, "देय" अभिव्यक्ति आई है। विद्वान वकील के अनुसार, यदि विधायिका किए गए और किए गए भुगतानों के लिए कटौती को अस्वीकार करने का इरादा रखती है, तो उसने "भुगतान" अभिव्यक्ति का उपयोग किया होगा, जिसे अधिनियम की धारा 28 से 41 के उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, लेकिन अभिव्यक्ति का उपयोग

" देय "यह स्पष्ट करता है कि प्रावधान का कवरेज प्रतिबंधित है और किसी भी मामले में, यह पहले से भुगतान की गई राशि पर लागू नहीं होता है। विद्वान वकील ने अपनी दलीलों का समर्थन करने का भी प्रयास किया है

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के परंतुक की सामग्री के संदर्भ में इन प्रस्तुतियों के साथ कि मुख्य प्रावधान का अर्थ और दायरा परंतुक के दायरे से स्पष्ट होता है, जिसमें "भुगतान" अभिव्यक्ति का उपयोग उन परिस्थितियों को बताते हुए किया जाता है जब मुख्य प्रावधान के तहत अनुमत कटौती का दावा बाद के वर्ष में किया जा सकता है।

प्रस्तुत करेंगे कि अधिनियम की धारा 201 के परिणाम के लिए प्रावधान करता है भुगतान या बुकिंग के समय टी. डी. एस. की गैर-कटौती, जो भी श्री चौधरी परिवहन कंपनी v.

आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

यह पहले की बात है और इस प्रकार, उक्त प्रावधान दोनों स्थितियों पर लागू होगा जहां व्यय राशि का "भुगतान" किया गया है या "देय" है। हालांकि, विद्वान वकील के अनुसार, अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) में प्रदान किए गए चूक का अतिरिक्त परिणाम केवल तभी लागू होगा जब कथित चूक सख्ती से इस प्रावधान की भाषा के भीतर आती है, जो "देय" राशि तक सीमित है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के दायरे को इसकी भाषा से परे केवल इसलिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा 194 सी के अनुसार, कटौती करने का दायित्व है।

कर "ठेकेदार के खाते में ऐसी राशि जमा करने" के समय या "भुगतान" के समय, जो भी पहले हो, होता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में। प्राइस वाटरहाउसः (1997) 93 टैक्समैन 588, विद्वान

वकील ने तर्क दिया है कि जब शब्द स्पष्ट होते हैं और कोई अस्पष्टता नहीं होती है, तो विधायिका के इरादे का अनुमान केवल प्रावधान में उपयोग किए गए शब्दों से लगाया जाना चाहिए।

10.2. 2 . इस प्रकार, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) इसके दायरे में सीमित है और यह पहले से भुगतान की गई राशि पर लागू नहीं होता है। तथापि, इस स्थिति से अवगत होना कि इस तरह की दलीलों का आधार पालम गैस सेवा बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले से लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। आय-कर आयुक्तः (2017) 394 आई. टी. आर. 300, विद्वान वकील ने विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं कि पालम गैस सेवा में उक्त निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। विद्वान वकील के अनुसार, इस तरह के पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि

कारक यह हैः (क) अस्वीकृति के लिए कर प्रावधान का उपयोग की गई भाषा के अनुसार सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और तथाकथित उद्देश्यपूर्ण संरचना को अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं है; (ख) विधेयक में उपयोग किए गए शब्दों के "जमा या भुगतान" को "देय" शब्द में बदलने की अनदेखी की गई है; (ग) यह स्पष्ट करने वाले परंतुक का प्रभाव कि मुख्य प्रावधान का उद्देश्य केवल बकाया या देय राशियों को अस्वीकार करना है।

अधिनियम की धारा 194 सी और 201 के दायरे के आधार पर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत प्रदान किया गया है, हालांकि ऐसा दृष्टिकोण अस्वीकार्य है। कराधान कानून में एक प्रावधान की व्याख्या करते हुए।

10.3 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है

वैकल्पिक रूप से यह कि उक्त उपखंड (आई. ए.), वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 01.04.2005 से प्रभावी होकर अधिनियम की धारा 40 के खंड (ए) में अंतःस्थापित किया गया है, केवल वित्तीय वर्ष 2005-2006 [2020] 8 एस. सी. आर. से लागू होगा।

और इसलिए, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से संबंधित वर्तमान मामले में लागू नहीं हो सकता है। समर्थन में, विद्वान वकील ने पी. आई. यू. घोष बनाम के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। आय उपायुक्त-कर और अन्य। : (2016) 386 आईटीआर 322। इन दलीलों के पूरक, विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि, किसी भी मामले में, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 को 10.09.2004 पर भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसलिए, अधिनियम की धारा 40 (ए) के उपखंड (आई. ए.) को परिचय की तारीख 10.09.2004 से पहले किए गए भुगतानों के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है।

इस प्रावधान से।

10.3. 1 . एक अन्य विकल्प के रूप में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 द्वारा अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) में किए गए संशोधन का उल्लेख किया है, जिसमें अधिनियम की सीमा को सीमित और सीमित किया गया है।

व्यय के 30 प्रतिशत की अस्वीकृति और प्रस्तुत किया है कि उक्त संशोधन, उपचारात्मक प्रकृति का होने के कारण और निर्धारिती द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए पेश किया गया है, जो पूर्वव्यापी रूप से और अधिनियम की धारा 40 (ए) के उपखंड (आई. ए.) को लागू करने की तारीख से लागू करने योग्य है। विद्वान वकील ने यह तर्क विकसित किया है

आय आयुक्त-कर बनाम में निर्णय पर भरोसा करके। कलकत्ता एक्सपोर्ट कंपनीः (2018) 404 आई. टी. आर. 654, जिसमें इस न्यायालय ने वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के उपचारात्मक संशोधन को पूर्वव्यापी प्रकृति का और उक्त प्रावधान को शामिल करने की तारीख से लागू माना है।

व्यावहारिक रूप से यह एक अत्यधिक असंगत स्थिति की ओर ले जाता है कि कंपनी से प्राप्त रसीद को अपीलार्थी की आय के रूप में माना जाता है और तदनुसार कर लगाया जाता है, लेकिन आवश्यक खर्चों के लिए उचित प्रावधान के बिना। विद्वान वकील के अनुसार, ऐसे अनुबंधों में, अपीलार्थी जैसे परिवहन ठेकेदार की वार्षिक आय लगभग रु। 57 लाख, जैसा कि वर्तमान मामले में कर लगाने की मांग की गई है।

उत्तरदाता

11. इसके विपरीत, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील-राजस्व ने अनिवार्य रूप से आक्षेपित आदेशों का विधिवत समर्थन किया है उसमें तर्क और पालम गैस सेवा (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में भी।

श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी v. आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

11.1 . राजस्व के लिए विद्वान वकील ने, सबसे पहले, तय किए गए मामलों के संदर्भ में तर्क दिया है कि समवर्ती

अधिकारियों और आई. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, स्पष्ट विकृति के किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान करते हैं।

11.2 . विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने ट्रकों को किराए पर लेकर परिवहन का काम किया है।

और ऐसी प्रत्येक भर्ती के लिए चालान/बिल्टी/चालान जारी करते समय प्रचालक/मालिकों को भुगतान किया, जो एक अलग अनुबंध/उप-अनुबंध का गठन करता था। विद्वान वकील के अनुसार, इस तरह के लेन-देन में, अपीलार्थी को धारा 194 सी के संदर्भ में स्रोत पर कर की कटौती करने की आवश्यकता थी

किसी भी ट्रक संचालक/मालिक को रुपये से अधिक राशि का भुगतान करते समय अधिनियम। 20,000 / -; और अपीलार्थी ऐसा करने में विफल रहने पर, धारा 40 (ए) (आई. ए.) के प्रावधानों को उचित रूप से लागू किया गया है। 11.3 . राजस्व के लिए विद्वान वकील ने पालम गैस सेवा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का विस्तृत संदर्भ दिया है और प्रस्तुत किया है कि

अपीलार्थी, कि अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) में आने वाली "देय" अभिव्यक्ति, केवल उन मामलों को संदर्भित करती है जहां राशि का भुगतान किया जाना बाकी है और उन मामलों को शामिल नहीं करती है जहां वास्तव में राशि का भुगतान किया गया है, इस न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया गया है और विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है; और उक्त निर्णय में वर्तमान मामले को पूरी तरह से शामिल किया गया है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि पालम गैस सेवा (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने प्रश्नगत प्रावधानों की योजना की समग्र रूप से जांच करने के बाद, उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है; और इस अपील को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) की व्याख्या के संबंध में उठाया जाने वाला प्रश्न अब एकीकृत नहीं है। 11.4 . राजस्व के लिए विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा उप-खंड (आई. ए.) को शामिल करने के साथ अधिनियम की धारा 40 (ए) में संशोधन, 01.04.2005 से सीधे मूल्यांकन वर्ष 2005-2006 पर लागू होता है। और अपीलार्थी के परिवहन के काम के लिए उप ठेकेदारों को किए गए भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल रहने के लिए, इस तरह के भुगतान की कटौती की अनुमति नहीं दी गई है।

11.5 . विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि परंतुक

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.), जैसा कि वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा जोड़ा गया है, निर्धारण वर्ष 2005 [2020] 8 एस. सी. आर. से संबंधित मामले पर लागू नहीं होती है।

2006 और इसलिए, उक्त परंतुक के संदर्भ में उपचारात्मक लाभ के लिए तर्क आधार नहीं रखता है।

संकल्प के लिए प्रश्न

12. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों और आक्षेपित आदेशों में होने वाली टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए,

इस अपील में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले प्रमुख प्रश्नों को निम्नानुसार कहा जा सकता हैः

1. इस बारे में कि क्या अधिनियम की धारा 194 सी लागू नहीं होती है

वर्तमान मामला?
2. इस बारे में कि क्या अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत अस्वीकृति "देय" राशि तक सीमित/सीमित है और "पहले से भुगतान की गई राशि" तक सीमित नहीं है; और क्या पालम में इस न्यायालय का निर्णय

गैस सेवा v. आय-कर आयुक्तः (2017) 394 आईटीआर

300 पुनर्विचार की आवश्यकता है?
3. इस बारे में कि क्या अधिनियम की धारा 40 (ए) के उपखंड (आई. ए.) के रूप में

01.04.2005 से प्रभावी वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा अंतःस्थापित, केवल वित्तीय वर्ष 2005-2006 से लागू होता है और इसलिए, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से संबंधित वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है; और, किसी भी तरह से, की पूरी कठोरता

यह प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है?

4. इस बारे में कि क्या कुल आय की गणना करते समय विचाराधीन भुगतानों को कटौती से उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।

निर्धारिती-अपीलार्थी?

प्रासंगिक प्रावधान

13. उपरोक्त प्रश्नों के निर्धारण के लिए, हमें 1961 के अधिनियम में वैधानिक प्रावधानों को बारीकी से देखने की आवश्यकता है जिनमें सामग्री है

इस मामले में। 13.1 . यह देखा गया है कि 1961 के अधिनियम के अध्याय XVII में "कर संग्रह और वसूली" के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

और इसके भाग बी में "स्रोत पर कटौती" से संबंधित प्रावधान हैं। धारा 194 सी, 200 और 201, जो वर्तमान मामले में संदर्भ में आई हैं, इस भाग में निहित हैं और वही, जो निर्धारण वर्ष 2005-2006 से संबंधित प्रासंगिक समय पर मौजूद है, उपयोगी रूप से ध्यान दिया जा सकता है।

री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी v. आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]13.1. 1 . अपीलार्थी के खिलाफ दायित्व मूल रूप से अधिनियम की धारा की आवश्यकताओं के कथित गैर-अनुपालन का उपयोग उत्पन्न करता है। प्रासंगिक समय पर, यह प्रावधान निम्नानुसार है:

" 194 सी. ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को भुगतान।

((ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी; या (ग) केंद्र, राज्य या उसके अधीन स्थापित कोई निगम।

प्रांतीय अधिनियम; या

((घ) कोई कंपनी; या

((ङ) कोई सहकारी समिति; या (च) भारत में किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित कोई प्राधिकरण, जो आवास की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के उद्देश्य से या शहरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से लगा हुआ है, या

दोनों के लिए; या

(छ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत या उस अधिनियम के अनुरूप किसी कानून के तहत पंजीकृत कोई भी सोसायटी।

भारत के किसी भाग में लागू; या

((ज) कोई न्यास; या ((i) द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय।

केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित संस्थान

आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3); या

(जे) कोई भी फर्म,

ठेकेदार के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से भुगतान करते समय, जो भी पहले हो, उसके बराबर राशि की कटौती करेगा:

(i) विज्ञापन के मामले में एक प्रतिशत, [2020] 8 एस. सी. आर.

((ख) किसी भी अन्य मामले में दो प्रतिशत,

(2) कोई भी व्यक्ति (ठेकेदार होने के नाते और एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार नहीं होने के नाते) जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हो। उप-ठेकेदार के साथ अनुबंध के अनुसरण में निवासी (इसके बाद इस धारा में उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित)

ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के पूरे या किसी भी हिस्से को पूरा करने के लिए या पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी भी श्रम की आपूर्ति के लिए जो ठेकेदार के पास है, या उसे पूरा करने के लिए श्रम की आपूर्ति के लिए

उप-ठेकेदार के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से भुगतान करते समय, जो भी पहले हो, उसमें से आय कर के रूप में ऐसी राशि के एक प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती करेगाः

बशर्ते कि एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार, जिसकी कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या उसके द्वारा किए गए व्यवसाय या पेशे से कारोबार उस वित्तीय वर्ष से तुरंत पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44 एबी के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत निर्दिष्ट मौद्रिक सीमाओं से अधिक है जिसमें ऐसी राशि होती है।

उप-ठेकेदार के खाते में जमा या भुगतान किया जाता है, तो इस उप-धारा के तहत आय-कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण I-उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, "ठेकेदार" पद में एक ठेकेदार भी शामिल होगा जो ठेकेदार और ठेकेदार के बीच एक अनुबंध के अनुसरण में कोई भी काम (किसी भी काम को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) कर रहा है।

किसी विदेशी राज्य की सरकार या कोई विदेशी उद्यम या कोई अन्य भारत के बाहर स्थापित संघ या निकाय।

उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी खाते में, चाहे वह "सस्पेंस खाता" हो या किसी अन्य नाम से, ऐसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की लेखा बहियों में जमा किया जाता है, ऐसा जमा करना प्राप्तकर्ता के खाते में ऐसी आय का जमा होना समझा जाएगा और इस धारा के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे। स्पष्टीकरण III। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कार्य" अभिव्यक्ति में आर. ई. ई. चौधरी परिवहन कंपनी v भी शामिल होगी।

आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

(ए) विज्ञापन;

(ख) उत्पादन सहित प्रसारण और प्रसारण

ऐसे प्रसारण या प्रसारण के लिए कार्यक्रम;

(ग) परिवहन के किसी भी माध्यम से माल और यात्रियों की ढुलाई

रेलवे के अलावा;

((घ) भोजन।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा के तहत कोई कटौती नहीं की जाएगी।

धारा (2) से

((i) ठेकेदार या उप-ठेकेदार के खाते में जमा की गई या भुगतान की गई या जमा की जाने वाली या भुगतान की जाने वाली किसी राशि की राशि, यदि -

ऐसी राशि बीस हजार रुपये से अधिक नहीं हैः

बशर्ते कि जहां ऐसी राशियों की राशियों का योग

वित्तीय अवधि के दौरान जमा या भुगतान या जमा या भुगतान किए जाने की संभावना

वर्ष पचास हजार रुपये से अधिक है, जिसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति उप-धारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी राशियों का भुगतान करना, जैसा भी मामला हो

हो सकता है, उप-धारा (2) के तहत आय-कर की कटौती के लिए उत्तरदायी होगा

यह धारा; या

((ख) 1 जून, 1972 से पहले जमा या भुगतान की गई कोई राशि; या ((ग) 1 जून, 1973 से पहले जमा की गई या भुगतान की गई कोई राशि।

ठेकेदार और एक सहकारी के बीच एक अनुबंध का अनुसरण

सोसायटी या ऐसे ठेकेदार के बीच किसी अनुबंध के अनुसरण में

और किसी भी कार्य के संबंध में उप-ठेकेदार (आपूर्ति सहित) ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी काम को करने के लिए श्रम)

सहकारी समाज के लिए "।

13.1. 2 . अधिनियम की धारा 200 और 201, क्रमशः

कर की कटौती करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य और करने में विफलता पर परिणामसी. टी. या वेतन, जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू होता है, को भी पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

" 200. कर कटौती करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य।

(1) पूर्वगामी के अनुसार किसी भी राशि की कटौती करने वाला कोई भी व्यक्ति

इस अध्याय के प्रावधानों का भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा, केंद्र सरकार के ऋण में इस प्रकार की कटौती की गई राशि या

जैसा कि बोर्ड निर्देश देता है।

"इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधान" शब्दों को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004,01.10.2004 द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों वाले पिछले प्रावधानों के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1ए) में निर्दिष्ट नियोक्ता है

धारा 192 निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार के खाते में या बोर्ड के निर्देशानुसार कर का भुगतान करेगी। 1 0

(3) 1 अप्रैल को या उसके बाद किसी भी राशि की कटौती करने वाला कोई भी व्यक्ति,

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करें और उन्हें वितरित करें या ऐसा करने का कारण बनें। निर्धारित आय-कर प्राधिकरण या व्यक्ति को वितरित किया गया

ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे विवरण को ऐसे रूप में प्राधिकृत किया जाता है और इस तरह से सत्यापित किया जाता है और ऐसे विवरणों को निर्धारित किया जाता है और ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित किया जाए। 1 1 201. कटौती या भुगतान करने में विफलता के परिणाम।

(1) यदि धारा 200 में निर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति और धारा 194 में निर्दिष्ट मामलों में, प्रधान अधिकारी और कंपनी

जिसमें से वह प्रधान अधिकारी है, पूरी या कटौती नहीं करता है।

कर का कोई भी भाग या कटौती इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक कर का भुगतान करने में विफल रहने के बाद, वह या वह, किसी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसे हो सकता है, माना जाएगा -

कर के संबंध में चूक करने वाला निर्धारितीः

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति, प्रधान अधिकारी या कंपनी से धारा 221 के तहत कोई जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान न हो कि ऐसा व्यक्ति या प्रधान अधिकारी या कंपनी,

जैसा भी मामला हो, बिना अच्छे और पर्याप्त कारणों के कर की कटौती और भुगतान करने में विफल रहा है।

(1क) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, प्रधान अधिकारी या कंपनी, जिसका उल्लेख उस में किया गया है।

उप-धारा कर की पूरी या किसी भी भाग की कटौती नहीं करती है या इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक कर का भुगतान करने में विफल रहने के बाद, वह या वह उस तारीख से ऐसे कर की राशि पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

-धारा (2) को वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था। धारा (3) को वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2005 श्री चौधरी परिवहन कंपनी v. द्वारा जोड़ा गया था।

आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ऐसा कर उस तारीख तक कटौती योग्य था जिस दिन ऐसा कर वास्तव में लगाया जाता है।

भुगतान किया।

(2) जहां कर का भुगतान कटौती के बाद उपरोक्त रूप में नहीं किया गया है,

सरल ब्याज की राशि के साथ कर की राशि उस पर उप-धारा (1 क) में निर्दिष्ट प्रभार सभी पर होगा।

व्यक्ति या कंपनी की परिसंपत्तियाँ, जैसा भी मामला हो,

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट। "

13.2 . 1961 के अधिनियम का अध्याय IV इस विषय से संबंधित है।

" कुल आय और धारा 40 की गणना इसके भाग डी में की गई है, जिसमें "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" से संबंधित प्रावधान हैं। यहां तक कि जब धारा 30 से 38 व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ से आय की गणना में विभिन्न भत्तों और कटौती का प्रावधान करती है, तो धारा 40 विशेष रूप से आदेश देती है कि कुछ राशियों की कटौती नहीं की जाएगी, भले ही अधिनियम की उक्त धारा 30 से 38 में इसके विपरीत कुछ भी निहित हो। वर्तमान मामले में, हम अधिनियम की धारा 40 के खंड (ए) के उपखंड (आई. ए.) में निहित प्रावधानों से संबंधित हैं, जिसे वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 01.04.2005 से प्रभावी किया गया था। इसलिए, इसके तहत निष्कर्षण अनिवार्य रूप से उस प्रावधान का है जिसे इस रूप में पढ़ा जा सकता है वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा अंतःस्थापित किए जाने के बाद अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.): -

" 40. कटौती योग्य राशि नहीं। -कुछ भी होने के बावजूद

" व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ ", (क) किसी भी निर्धारिती के मामले में

*

**

***

(ia) कोई ब्याज, कमीशन या दलाली, पेशेवरों के लिए शुल्क

किसी निवासी को देय तकनीकी सेवाओं के लिए सेवाएँ या शुल्क, या किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार को देय राशि, जो निवासी हो,

किसी भी कार्य को करने के लिए (ले जाने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित)

कोई भी कार्य), जिस पर अध्याय के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जा सकती है

XVII-B और इस तरह के कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के बाद,

पिछले वर्ष या उसके बाद के वर्षों में भुगतान नहीं किया गया है।

उप-धारा के तहत निर्धारित समय की समाप्ति से एक साल पहले

(1) धारा 200:

बशर्ते कि जहां ऐसी किसी राशि के संबंध में कर लगाया गया हो
बाद के किसी भी वर्ष में कटौती की गई है या
पिछला वर्ष लेकिन समाप्ति के बाद किसी भी बाद के वर्ष में भुगतान किया गया
धारा 200 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित समय, जैसे कि
आय की गणना में कटौती के रूप में राशि की अनुमति दी जाएगी
पिछला वर्ष जिसमें ऐसा कर का भुगतान किया गया हो।

स्पष्टीकरण। - इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,

" कमीशन या दलाली का एक ही अर्थ होगा।

((i)

धारा 194 एच के स्पष्टीकरण के खंड (i) के अनुसार;

" तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का समान अर्थ होगा।

((ख)

जैसा कि उप-धारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है।

धारा 9;

" व्यावसायिक सेवाओं का वही अर्थ होगा जो इसमें है।

(iii)

धारा 194 ज के स्पष्टीकरण का खंड (ए);

((iv) "कार्य" का वही अर्थ होगा जो स्पष्टीकरण III में है।

धारा 194 सी के लिए;

***

***

13.3 . अध्याय IV के उसी भाग D में धारा 43

1961 में लाभ से होने वाली आय से संबंधित विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है।

व्यवसाय या पेशे के अधिनियम और उसके खंड (2), जिसमें "भुगतान" अभिव्यक्ति का उल्लेख है, वर्तमान में निर्दिष्ट किए गए हैं।

आर, को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

" 43.आय से संबंधित कुछ शब्दों की परिभाषाएँ

व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ। -धारा 28 से 41 और इस धारा में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो

***

***

***

(2) " "भुगतान" का अर्थ है विधि के अनुसार वास्तव में भुगतान या खर्च किया गया लेखांकन जिसके आधार पर लाभ या लाभ होते हैं

"व्यवसाय के लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत गणना की गई या

पेशा ";

*****

***

***

यह उपयोगी रूप से इंगित कर सकता है कि अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) में कई प्रावधान किए गए हैं।

समय-समय पर और तर्कों के एक खंड में, संशोधन के रूप में

वर्ष 2010 और 2014 में, अपीलार्थी की ओर से निर्दिष्ट किया गया है। हम ऐसे संशोधनों के बाद इस प्रावधान की प्रासंगिक सामग्री पर विचार करेंगे।

उचित समय पर बाद में तर्क का हिस्सा।

13.4 . तर्कों के एक अन्य खंड के संबंध में उनकी प्रासंगिकता के लिए, हम धारा 2 के खंड (9) में "मूल्यांकन वर्ष" अभिव्यक्ति को दिए गए अर्थ पर भी ध्यान दे सकते हैं; और 1961 के अधिनियम की धारा 3 में "पिछले वर्ष" अभिव्यक्ति पर निम्नानुसार ध्यान दे सकते हैंः -

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

***

***

(9) " निर्धारण वर्ष का अर्थ है बारह महीने की अवधि।

हर साल अप्रैल के पहले दिन से शुरू होता है;

***

****

***

" 3. " पिछला वर्ष "परिभाषित किया गया। - इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,

" "पिछले वर्ष" से निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वित्तीय वर्ष अभिप्रेत हैः

***

***

*****

14. अब हम इस मामले से जुड़े प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं।

सीरियटिम।

प्रश्न संख्या 1

15. यह बनाए रखने के लिए कि अपीलार्थी कोई बाध्यता के अधीन नहीं था

स्वतंत्र रूप से और आवश्यकता के आधार पर सामानों का परिवहन। द. निवेदन किया गया है कि धारा 194 सी (2) के तहत टीडीएस का सवाल केवल तभी पैदा होता जब भुगतान किसी "उप-ठेकेदार" को किया जाता और वह भी "ठेकेदार द्वारा किए गए काम के पूरे या किसी भी हिस्से को ले जाने" के उद्देश्य से एक अनुबंध के अनुसरण में। हमारे विचार में, इस प्रकार की गई दलीलें पूरी तरह से निराधार हैं।

15.1 . अपीलार्थी द्वारा प्रेषक कंपनी के साथ किए गए अनुबंध की प्रकृति से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को परिवहन करना था।

प्रेषक कंपनी का माल (सीमेंट); और इस अनुबंध को निष्पादित करने के लिए, अपीलार्थी ने परिवहन वाहनों, अर्थात् ट्रकों को विभिन्न प्रचालक/मालिकों से किराए पर लिया। अपीलार्थी को प्रेषक कंपनी से माल ढुलाई शुल्क प्राप्त होता था, जिसने वास्तव में अपीलार्थी को ऐसा भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती की थी। इसके बाद, अपीलार्थी ने उन व्यक्तियों को शुल्क का भुगतान किया जिनके वाहन [2020] 8 एस. सी. आर. के उद्देश्य के लिए किराए पर लिए गए थे।

माल के परिवहन का कार्य कहा। इस प्रकार, विचाराधीन माल का परिवहन अपीलार्थी द्वारा नियोजित ट्रकों के माध्यम से किया जाता था, लेकिन ट्रक संचालकों/मालिकों और उक्त प्रेषक कंपनी के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी। निर्विवाद रूप से, कंपनी के माल (सीमेंट) के परिवहन की जिम्मेदारी अपीलार्थी की थी और परिवहन के इस कार्य को कैसे पूरा किया जाए, यह विशेष रूप से अपीलार्थी के अधिकार क्षेत्र में था। इसलिए, इस उद्देश्य के लिए ट्रक ऑपरेटरों/मालिकों की सेवाओं को काम पर रखना केवल अपीलार्थी और उक्त ट्रक ऑपरेटरों/मालिकों के बीच एक अनुबंध के तहत हो सकता था। इस तरह के अनुबंध को लिखित रूप में कम किया गया था या नहीं, इसकी शायद ही कोई प्रासंगिकता है। दिए गए परिदृश्य और स्थापना में, उक्त ट्रक संचालकों/मालिकों ने इस उद्देश्य के लिए ठेकेदार (यानी, अपीलकर्ता) द्वारा किए गए पूरे या काम के हिस्से को पूरा करने के लिए "उप-ठेकेदार" के विवरण का जवाब दिया। अधिनियम की धारा 194 सी (2)।

अपीलार्थी की और न ही उन्हें देय माल ढुलाई पूर्व निर्धारित की गई थी, हमारे विचार में, इसका कोई अर्थ नहीं है। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यदि किसी विशेष ट्रक को नहीं लगाया गया था, तो कोई अनुबंध नहीं था, लेकिन जब किसी ट्रक को उसके द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन के उद्देश्य से लगाया गया था। अपीलार्थी और माल ढुलाई शुल्क कार्य के निष्पादन पर उसके प्रचालक/मालिक को देय थे, अर्थात माल का परिवहन, अनुबंध बनाने के लिए सभी आवश्यक चीजें मौजूद थीं; और, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उक्त ट्रक संचालक/मालिक विचाराधीन कार्य के उद्देश्य के लिए एक उप-ठेकेदार बन गया। ए. ओ., सी. आई. टी. (ए) और आई. टी. ए. टी. ने मामले के तथ्यों के संदर्भ में अपीलार्थी के खिलाफ इस मुद्दे पर समवर्ती निर्णय लिया है, विशेष रूप से प्रेषक कंपनी के साथ अपीलार्थी के अनुबंध की प्रकृति और अपीलार्थी के व्यवहार की प्रकृति की सराहना करने के बाद, यह कहते हुए कि

ट्रक संचालक/मालिकों को अपीलार्थी द्वारा उप-ठेकेदारों के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्हीं निष्कर्षों का उच्च न्यायालय द्वारा समर्थन किया गया है

अपीलार्थी की अपील को खारिज करते हुए अपने संक्षिप्त आदेश में। हम इन निष्कर्षों में कुछ भी त्रुटि या दुर्बलता नहीं पा रहे हैं।

15.3 . हमारे विचार में, हरदर्शन सिंह (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्धारिती, जो इसके व्यवसाय में था

माल का परिवहन करते हुए, उनके पास अपने चार ट्रक थे और वे अन्य माध्यमों से परिवहन की व्यवस्था करके एक कमीशन एजेंट के रूप में भी काम कर रहे थे

ट्रांसपोर्टर। जहां तक परिवहन से संबंधित निर्धारिती की आय का संबंध है, श्री चौधरी परिवहन कंपनी v.

आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अन्य ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से, यह पाया गया कि निर्धारिती ने केवल दोनों पक्षों (यानी, प्रेषक कंपनी और ट्रांसपोर्टर) के बीच एक सुविधा प्रदाता या मध्यस्थ के रूप में काम किया था और ऐसे किसी भी पक्ष के साथ अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी क्योंकि वह केवल उन ग्राहकों से माल ढुलाई शुल्क एकत्र करता था जो अन्य माध्यमों से अपने माल का परिवहन करना चाहते थे। ट्रांसपोर्टर; और इस प्रकार ग्राहकों से एकत्र की गई राशि का भुगतान निर्धारिती द्वारा अपने कमीशन की कटौती करते समय उन ट्रांसपोर्टरों को किया जाता था।

इस तरह के लेन-देन की प्रकृति को देखते हुए, उक्त निर्धारिती को अधिनियम की धारा 194 डिग्री सेल्सियस के संदर्भ में भुगतान करने के लिए "जिम्मेदार व्यक्ति नहीं" माना गया था और इसलिए, स्रोत पर कर की कटौती करने का कोई दायित्व नहीं था। अपीलार्थी, हरदर्शन सिंह के उक्त मामले के विपरीत,

15.4 . यद्यपि पालम गैस सेवा (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय अनिवार्य रूप से अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) की व्याख्या से संबंधित है और जबकि उक्त प्रावधान से संबंधित प्रासंगिक पहलुओं की जांच अगले प्रश्न में की जाएगी, लेकिन वर्तमान के लिए इस उद्देश्य से, उस मामले के तथ्यों पर उपयोगी रूप से ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि वे वर्तमान मामले के तथ्यों के समान हैं और उपयुक्त चित्रण के हैं। इसमें, निर्धारिती एलपीजी सिलेंडरों की खरीद और बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ था, जिसका मुख्य अनुबंध इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बद्दी के साथ था, जिसके लिए निर्धारिती को मूलधन से माल ढुलाई का भुगतान प्राप्त होता था। निर्धारिती ने तीन व्यक्तियों के माध्यम से एलपीजी का परिवहन कराया, जिन्हें उसने माल ढुलाई का भुगतान किया। निर्धारण अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 194 डिग्री सेल्सियस के अर्थ के भीतर उक्त तीन व्यक्तियों के साथ एक उप-अनुबंध किया था। एओ के इस तरह के निष्कर्षों को उच्च न्यायालय तक समवर्ती रूप से बरकरार रखा गया था

और, धारा 40 (ए) (आई. ए.) की व्याख्या के बाद, इस न्यायालय ने लागत के साथ अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को भी मंजूरी दे दी। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अंतर करने का प्रयास किया है

पालम गैस सेवा में अनुबंध की प्रकृति यह सुझाव देते हुए कि उसमें, निर्धारिती के उप-ठेकेदार विशिष्ट और चिन्हित व्यक्ति थे जिनके साथ निर्धारिती ने अनुबंध किया था, जबकि वर्तमान अपीलार्थी किसी भी ट्रक संचालक/मालिक और, [2020] 8 एस. सी. आर. की सेवा लेने के लिए स्वतंत्र था।

वास्तव में, अपीलार्थी ने केवल आवश्यकता के आधार पर ट्रकों को किराए पर लिया। हमारे विचार में, भेदभाव का ऐसा प्रयास पूरी तरह से निराधार और व्यर्थ है। क्या अपीलार्थी के रोल पर विशिष्ट और चिन्हित ट्रक थे या नहीं

स्वतंत्र आधार पर उन्हें लेने पर, पक्षों की स्थिति पर कानूनी प्रभाव वही रहा कि एक बार जब किसी विशेष ट्रक को अपीलार्थी द्वारा उसके द्वारा किए गए काम के हिस्से (यानी कंपनी के माल का परिवहन) को पूरा करने के लिए किराए के शुल्क पर लगाया जाता है, तो उस ट्रक का संचालक/मालिक उप-ठेकेदार बन जाता है और धारा 194 सी की सभी आवश्यकताएं लागू हो जाती हैं।

15.5 . इस प्रकार, हमें वर्तमान में धारा 194 सी की प्रयोज्यता के संबंध में समवर्ती निष्कर्षों की पुष्टि करने में कोई संकोच नहीं है। मामला। इसलिए, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है; निर्धारिती-अपीलार्थी के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में।

प्रश्न संख्या 2।

16. खंड की व्याख्या का प्रश्न उठाते समय

40 ((ए) (आई. ए.), यह उपयोगी रूप से देखा जा सकता है कि धारा 194 सी को "कर संग्रह और वसूली" विषय पर अधिनियम के अध्याय XVII में रखा गया है; और अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं कि धारा 194 सी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनका पालन किया जाए, साथ ही चूक के परिणामों के लिए भी प्रावधान किया गया है। जैसा कि देखा गया है, धारा 200 विशेष रूप से कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्यों को जमा करने और उस प्रभाव के लिए विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करती है। कर की कटौती या भुगतान करने में विफलता के परिणाम तब अधिनियम की धारा 201 में प्रदान किए जाते हैं, जो, जैसा कि देखा गया है, ऐसे चूक करने वाले व्यक्ति को "चूक करने वाले निर्धारिती" की श्रेणी में रखता है।

कर का सम्मान "अन्य परिणामों के अलावा जो उसे भुगतना पड़ सकता है। वर्तमान प्रयोजन के लिए प्रासंगिक पहलू यह है कि अधिनियम की धारा 40, और विशेष रूप से इसके खंड (ए) के उपखंड (आई. ए.) में निहित प्रावधान, वास्तव में ऐसे परिणामों में से एक के लिए प्रावधान करता है।

16.1 . धारा 40 (ए) (आई. ए.) में चूक के परिणामों का प्रावधान है।

उस मामले में जहां कर किसी ब्याज, कमीशन, दलाली या शुल्क पर स्रोत पर कटौती योग्य है, लेकिन इस तरह से कटौती नहीं की गई थी, या कटौती के बाद (पिछले वर्ष के दौरान या निर्धारित समय की समाप्ति से पहले बाद के वर्ष में) इस तरह से भुगतान नहीं किया गया था कि ऐसे ब्याज, कमीशन, दलाली या शुल्क की राशि की कटौती "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" के तहत प्रभार्य आय की गणना में नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में, इसकी गणना निर्धारिती की आय के रूप में की जाएगी क्योंकि वह स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने में चूक करता है।

16.2 . कर संग्रह और वसूली से संबंधित प्रावधानों की समग्र योजना में, यह स्पष्ट है कि धारा 40 के खंड (ए) के उपखंड (आई. ए.) जैसे प्रावधानों को लागू करने में विधायिका का उद्देश्य निम्नलिखित आवश्यकताओं का सख्त और समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करना थाः स्रोत पर कर की कटौती। दूसरे शब्दों में, परिणाम, जैसा कि उसमें प्रदान किया गया था, टीडीएस की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का अंतर्निहित उद्देश्य था। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 40 (ए) के खंड (आई. ए.) में जोड़े गए परंतुक में यह प्रावधान किया गया था कि जहां टी. डी. एस. की आवश्यकता के लिए संदर्भित राशि के संबंध में कर की कटौती की गई है।

किसी बाद के वर्ष में, या पिछले वर्ष के दौरान कटौती की गई है, लेकिन धारा 200 (1) में निर्धारित समय की समाप्ति के बाद किसी भी बाद के वर्ष में भुगतान किया गया है, ऐसी राशि को उस पिछले वर्ष की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसा कर का भुगतान किया गया है।

16.3 . इस प्रावधान का उद्देश्य और कवरेज भी

कलकत्ता एक्सपोर्ट कंपनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा इसमें संरक्षण को संक्षिप्त रूप से समझाया गया है, जिसे अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुतियों के एक अन्य अंग के समर्थन में उद्धृत किया गया है, जिसके बारे में हम अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे। वर्तमान उद्देश्य के लिए, हम अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के संबंध में कलकत्ता निर्यात कंपनी में इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों को निम्नानुसार देख सकते हैं। आई. टी. आर. का 662):

" 16. उपर्युक्त संदर्भ से उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। ज्ञापन द्वारा स्पष्टीकरण कि यह एक उद्देश्य के साथ आया था

कर अनुपालन सुनिश्चित करें। यह तथ्य कि विधानमंडल का इरादा निर्धारिती को दंडित करने का नहीं था, स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आय-कर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के प्रावधानों को पढ़ना। इसके परिणामस्वरूप केवल उस वर्ष का स्थानांतरण होता है जिसमें कटौती के रूप में व्यय का दावा किया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां कर की कटौती की गई थी

स्रोत को विधिवत सरकार के पास जमा किया गया था

निर्धारित समय पर, उक्त राशि का दावा पिछले वर्ष की आय से कटौती के रूप में किया जा सकता है जिसमें टीडीएस काटा गया था। हालाँकि, जब टी. डी. एस. के रूप में कटौती की गई राशि ऐसी जमा के लिए अनुमत अवधि की समाप्ति के बाद सरकार के पास जमा की गई थी, तो ऐसी जमा की गई टी. डी. एस. राशि के लिए कटौती का दावा केवल पिछले वर्ष में किया जा सकता है जिसमें ऐसा भुगतान सरकार को किया गया था।

16.4 . इस सवाल को उठाते हुए कि क्या इसके तहत अस्वीकृति है

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) "देय" राशि तक सीमित है न कि [2020] 8 एस. सी. आर.

वर्तमान मामला। उस मामले में, इस न्यायालय ने पी. एम. एस. डीजल और अन्य के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विचारों को मंजूरी दी। वी. आय-कर आयुक्तः (2015) 374 आई. टी. आर. 562 निम्नलिखित शब्दों में स्रोत पर कर की कटौती करने के दायित्व से संबंधित प्रावधानों की अनिवार्य प्रकृति के संबंध में है। 306-308 आई. टी. आर.):

" 11.पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पी. एम. एस. डीजल बनाम. सी. आई. टी. [2015] 374 आई. टी. आर. 562 (पी. एंड एच.) ने इन प्रावधानों को माना है

निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रकृति में अनिवार्यः

" अध्याय XVII के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती का दायित्व अनिवार्य है। किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी सरकारी खाते में राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी है। अध्याय XVII-B की सभी धाराओं में एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है।

स्रोत पर कर की कटौती उसमें निर्दिष्ट दरों पर करना। प्रत्येक खंड में आवश्यकता से पहले 'होगा' शब्द होता है। इसलिए प्रावधान अनिवार्य हैं। किसी भी धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 'विल' शब्द को 'मे' के रूप में पढ़ने के लिए आवश्यक हो। जिस समय कटौती की जानी है, वह यह भी स्थापित करता है कि प्रावधान अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए, धारा 194सी के तहत, एक व्यक्ति राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार को ठेकेदार के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय कर की कटौती करनी होती है।

या उसके भुगतान के समय। .....

12. उपरोक्त विचार रखते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के फैसलों पर चर्चा की, जिन्होंने एक ही दृष्टिकोण अपनाया था, और उसी के साथ सहमति व्यक्त की, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले में निहित निम्नलिखित चर्चा से स्पष्ट हैः

" सी. आई. टी. बनाम में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ। क्रेसेंट एक्सपोर्ट सिंडिकेट [2013] 216 टैक्समैन 258 (कैल) ने कहाः

‘13 . .....

" इन सभी धाराओं में प्रयुक्त शब्द "होगा" यह स्पष्ट करता है कि ये अनिवार्य प्रावधान हैं और ई. ई. चौधरी परिवहन कंपनी v. पर लागू होते हैं।

आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ये धाराएँ निर्धारिती को कोई लाभ नहीं देती हैं - बिना टी. डी. एस. लगाए भुगतान करें। इसके विपरीत,

विधान-मंडल की मंशा इस तथ्य से स्पष्ट है कि

कर की कटौती का समय जल्द से जल्द संभव अवसर है

खाते में जमा करते समय कर की वसूली

प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता को भुगतान के समय, जो भी हो इससे पहले '।

लिमिटेड वी. आसिस्टेंट। सी. आई. टी. (टी. डी. एस.) [2010] 325 आई. टी. आर. 610 (मैड)। प्रभाग पीठ ने अपने समक्ष रखे गए आंकड़ों का उल्लेख किया

विभाग जिसने खुलासा किया कि टी. डी. एस. संग्रह था

आय में वृद्धि की। अग्रिम कर का सकल संग्रह, वित्त वर्ष में अधिभार आदि 2,75 करोड़ रुपये था।

2008-09 जिनमें से अकेले टी. डी. एस. घटक रु.

1,30, 470.80 करोड़। डिवीजन बेंच ने कहा कि

टी. डी. एस. को सावधानीपूर्वक लागू किया जाता है, यह भी सुनिश्चित करता है कि भुगतानकर्ताओं की पहचान जिससे नेटवर्क की पुष्टि होती है

निर्धारिती और यह कि एक बार निर्धारिती की पहचान हो जाने के बाद यह

कर संग्रह तंत्र को अपने दायरे में लाने में सक्षम बनाएँ

ऐसे व्यक्ति जो नेटवर्क के भीतर आने के लिए उत्तरदायी हैं

करदाता। ये उद्देश्य विधायी इरादे को भी इंगित करते हैं कि

स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता अनिवार्य है।

इसलिए, स्रोत पर कर की कटौती का दायित्व अनिवार्य है।

13. धारा 194 सी की उपरोक्त व्याख्या संयुक्त रूप सेधारा 200 और नियम 30 (2) के साथ बेदाग और बेदाग है।

थोड़ा सा संदेह। हम, इस प्रकार, इस दृष्टिकोण को अपनी प्रमुखता देते हैं

एकेन "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

6.5. 1 . यह कहने के बाद कि स्रोत पर कर की कटौती अनिवार्य है, यह

इस मुद्दे से निपटने के लिए आगे बढ़े कि क्या 40 (ए) (आई. ए.) में 'देय' शब्द केवल उन मामलों को शामिल करेगा जहां राशि ई है और न कि जहां वास्तव में इसका भुगतान किया गया है। इस न्यायालय ने [2020] 8 एस. सी. आर. पर ध्यान दिया।

(उपर्युक्त) और आयकर आयुक्त, कोलकाता-11 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा भी। क्रेसेंट एक्सपोर्ट सिंडिकेटः (2013) 216 कर अधिकारी 258; और उसी को अनुमोदित करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रावधान में उपयोग की गई "देय" अभिव्यक्ति के निहितार्थ और अर्थ के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया। आई. टी. आर. का 310):

" 15. हम उपरोक्त दृष्टिकोण को भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, धारा 40 (ए) (आई. ए.) में न केवल वे मामले शामिल हैं जहां राशि देय है, बल्कि यह भी शामिल है कि इसका भुगतान कब किया जाता है। इस संबंध में, किसी को उस उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा जिसके साथ धारा 40 को अधिनियमित किया गया था और जिसे पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। हमें धारा 194 सी और 200 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा। एक बार जब यह पाया जाता है कि उपरोक्त धाराएँ एक व्यक्ति को अनिवार्य करती हैं -

स्रोत पर कर की कटौती न केवल देय राशि पर बल्कि तब भी करें जब वास्तव में ठेकेदार, किसी भी व्यक्ति को राशि का भुगतान किया जाता है। जो इस वैधानिक दायित्व का पालन नहीं करता है, उसे अधिनियम में ही निर्धारित परिणाम भुगतने पड़ते हैं। निश्चित रूप से

भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता के परिणाम, जहां स्रोत पर कर की कटौती की जानी थी या केंद्र सरकार के क्रेडिट में उसी का भुगतान करने में विफलता, निर्धारित किए गए हैं।

अधिनियम की धारा 201 में। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि उस आकस्मिकता में, ऐसे व्यक्ति को ऐसे कर के संबंध में चूक करने वाला निर्धारिती माना जाएगा। इस परिणाम को निर्धारित करते हुए,

धारा 201 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपरोक्त धाराएँ

किसी भी अन्य परिणाम के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होना जो कि

चूककर्ता को नुकसान हो सकता है। अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत अन्य परिणाम प्रदान किए गए हैं, अर्थात्, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान।

ठेकेदार के लिए व्यक्ति को कटौती योग्य नहीं माना जाएगा।

वहाँ से। चूक अध्याय XVII-B (तत्काल मामले में धारा 194C और 200, जो प्रावधान उपरोक्त अध्याय में हैं) से संबंधित है। जब कटौती करने के लिए दायित्व की पूरी योजना स्रोत पर कर और इसे केंद्र को भुगतान करना

सरकार को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, यह नहीं माना जा सकता है कि

धारा 40 (ए) (आई. ए.) में आने वाला "देय" शब्द केवल

वे मामले जहां राशि का भुगतान किया जाना बाकी है और करता है

यह उन मामलों को शामिल नहीं करता है जहां वास्तव में राशि का भुगतान किया जाता है।

यदि श्री चौधरी परिवहन कंपनी v. आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

इसमें, तब भी जब यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति, अपीलार्थी की तरह, अध्याय XVII-B (या विशेष रूप से) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

तत्काल मामले में धारा 194 सी और 200), वह अभी भी स्काट जाएगा

मुक्त, इस तरह के मौद्रिक चूक के परिणामों को सहन किए बिना इन परिणामों को निर्धारित करने वाले विशिष्ट प्रावधानों के बावजूद।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

16.6 . हम लाभप्रद रूप से देख सकते हैं कि पी. एम. एस. के मामले में।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) की असंख्य विशेषताओं पर व्यापक रूप से विचार किया था, जिसमें उसमें प्रयुक्त "देय" शब्द और उसके लिए प्रावधान भी शामिल था। और प्रावधान को पेश करने वाले 2004 के वित्त (संख्या 2) विधेयक का संदर्भ देते हुए और इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से समर्थन प्राप्त करते हुए इस प्रावधान के पूरे सरगम की व्याख्या की। क्रेसेंट एक्सपोर्ट सिंडिकेट (ऊपर)। जहां तक "देय" शब्द की व्याख्या का संबंध है, यह पी. एम. एस. डीजल में निम्नानुसार देखा गया था। 574-575 आई. टी. आर.):

" 21. इसलिए धारा 40 (ए) (आई. ए.) केवल निर्धारिती पर लागू नहीं होती है। व्यापारिक प्रणाली का पालन करते हुए लेकिन निम्नलिखित निर्धारिती के लिए भी

नकदी प्रणाली।

यदि यह दृष्टिकोण सही है और वास्तव में हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए

कि यह है, यह अपीलार्थी की भ्रांति को इंगित करने में एक लंबा रास्ता तय करता है

मुख्य विवाद, अर्थात्, यदि भुगतान पहले ही किया जा चुका है

निर्धारिती द्वारा प्राप्तकर्ता/संविदाकारी पक्ष को, के प्रावधान

धारा 40 (ए) (आई. ए.) को आकर्षित नहीं किया जाएगा, भले ही कर लागू न हो।

कटौती और/या सरकारी खाते में भुगतान किया गया।

22. धारा 40 (ए) (आई. ए.) डिफ़ॉल्ट की प्रकृति को संदर्भित करती है और डिफ़ॉल्ट का परिणाम। डिफ़ॉल्ट कटौती करने में विफलता है

सरकारी खाते में उसी का भुगतान करना। यह शब्द " देय केवल भुगतान के प्रकार या प्रकृति को इंगित करता है।

निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों/प्राप्तकर्ताओं को

धारा 40 (ए) (आई. ए.), जैसे ठेकेदार। इस संबंध में नहीं है

अध्याय XVII-B में निर्दिष्ट प्राप्तकर्ता को प्रत्येक भुगतान जो निर्धारिती कर की कटौती करने के लिए बाध्य है। भुगतान हो सकता है

अध्याय XVII-B में निर्दिष्ट व्यक्ति, जो आकर्षित नहीं करते हैं अध्याय XVII-B के प्रावधान। धारा [2020] 8 एस. सी. आर. के अधीन परिणाम।

अधिनियम और विशेष रूप से उसका अध्याय XVII-B। इस मायने में कि "देय" शब्द का उपयोग किया गया है। "देय" शब्द

उन भुगतानों का वर्णन करता है जो दायित्व को आकर्षित करते हैं स्रोत पर कर की कटौती करें। यह डिफ़ॉल्ट को वर्गीकृत नहीं करता है

इस आधार पर कि भुगतान कब किए जाते हैं

ऐसी राशियाँ जो स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए दायित्व को आकर्षित करती हैं।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

16.7 . हम उपरोक्त निष्कर्षित टिप्पणियों को पाते हैं और

पालम गैस सेवा (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा पहले ही अनुमोदित किए गए तर्क, अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) की योजना और उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए और अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए तर्कों के पूर्ण उत्तर में हैं। यह प्रत्यक्षतः स्पष्ट है कि "देय" शब्द का उपयोग अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) में केवल भुगतान के प्रकार या प्रकृति को इंगित करने के लिए किया गया है।

उसमें निर्दिष्ट करदाताओं को निर्धारिती। दूसरे शब्दों में, "देय" अभिव्यक्ति उन भुगतानों का वर्णनात्मक है जो स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायित्व को आकर्षित करते हैं और इसका उपयोग विचाराधीन प्रावधान में किसी विशेष वर्ग के चूक को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया गया है।

भुगतान किया गया है या नहीं। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा शब्दार्थिक सुझाव, कि इस अभिव्यक्ति "देय" को "भुगतान" अभिव्यक्ति के विपरीत पढ़ा जाना चाहिए, बिना योग्यता के और केवल अस्वीकार किया जा सकता है। संक्षेप में, पालम गैस सेवा (ऊपर) का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए, हम केवल पी. एम. एस. डीजल (ऊपर) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के लिए अपनी मंजूरी को दोहरा सकते हैं।

16.8 . पालम में कानून की घोषणा की स्थिति का सामना करना पड़ा

गैस सेवा (ऊपर) व्यावहारिक रूप से इस मामले को शामिल करती है, के लिए विद्वान वकील

अपीलार्थी ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि पालम गैस सेवा में निर्णय, इस कारण से पुनर्विचार की आवश्यकता है कि कानून के कुछ पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है और इसके सही सिद्धांत

व्याख्या लागू नहीं की गई है। हम में पदार्थ खोजने में असमर्थ हैं

इनमें से कोई भी विवाद। कानून के मूल प्रश्न पर पालम गैस सेवा (उपरोक्त) में समन्वय पीठ का निर्णय समान रूप से बाध्यकारी है -

इस पीठ पर संदेह केवल तभी किया जा सकता है जब लिया गया दृष्टिकोण, बड़ी पीठ के किसी बाध्यकारी निर्णय या किसी वैधानिक प्रावधान या समान प्रकृति के किसी अन्य कारण के अनुरूप नहीं दिखाया गया हो। हम पाते हैं।

कोई नहीं। वास्तव में, पी. एम. एस. डीजल (ऊपर), श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम के निर्णय पर बारीकी से नज़र डालें।

आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

जिसे पालम गैस सेवा मामले में इस न्यायालय द्वारा पूरी तरह से अनुमोदित किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अन्य उच्च न्यायालयों, विशेष रूप से क्रिसेंट एक्सपोर्ट सिंडिकेट के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों से समर्थन प्राप्त करते हुए मामले के हर पहलू की व्यापक कोणों से जांच की गई थी।

(ऊपर)।

16.9 . हम पालम गैस सेवा में टिप्पणियों के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं कि पी. एम. एस. डीजल में घोषणाएं की गई थीं

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) में निहित प्रावधानों की सही व्याख्या। पालम गैस सेवा में निर्णय पूरे मामले को शामिल करता है और हमारे विचार में उक्त निर्णय के लिए किसी भी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

पुनर्विचार। वह स्थिति होने के कारण, पक्ष की ओर से आग्रह किया गया विवाद अपीलार्थी का कि धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत अस्वीकृति पहले से ही भुगतान की गई राशि से संबंधित नहीं है, अस्वीकार कर दिया जाता है।

16.10 . अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के संबंध में एक अन्य तर्क है कि इसका दायरा धारा 194 सी के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है।

केवल अस्वीकार किए जाने के लिए नोट किया गया। इन प्रावधानों की परस्पर क्रिया नहीं है

जहाँ धारा 40 (ए) (आई. ए.) एक स्टैंड-अलोन प्रावधान नहीं है, लेकिन उन अतिरिक्त परिणामों में से एक प्रदान करता है जैसा कि धारा में इंगित किया गया है।

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) की रूपरेखा को केवल अधिनियम के भाग बी में निहित प्रावधानों की आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयुक्त रूप से परिभाषित किया जा सकता है। धारा 194 सी, 200 और 201 सहित अधिनियम का अध्याय XVII। इसे अलग तरह से रखते हुए, जब अधिनियम की धारा 194 सी का दायित्व अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) द्वारा प्रदान किए गए परिणाम का आधार है, तो बाद वाले की व्याख्या में पहले वाले का संदर्भ अपरिहार्य है।

16.11 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 43 (2) में "भुगतान" शब्द की परिभाषा का संदर्भ अपीलार्थी के लिए कोई सहायता नहीं है।

इसी तरह, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 के तहत देय कर पर ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के संदर्भ में "देय" और "भुगतान" अभिव्यक्तियों के अर्थ में अंतर के संबंध में जे. के. सिंथेटिक्स (उपरोक्त) के मामले में टिप्पणियों का वर्तमान मामले से कोई सह-संबंध नहीं है। इसके अलावा, जब यह पाया जाता है कि व्याख्या की प्रक्रिया [2020] 8 एस. सी. आर.

पी. एम. एस. डीजल (ऊपर) में अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.), जैसा कि पालम गैस सेवा (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, देय था।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के संदर्भ में प्रासंगिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग, व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों पर, अपीलार्थी के मामले को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाता है।

16.12 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर भी नकारात्मक में दिया जाता है; निर्धारिती-अपीलार्थी के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में।

प्रश्न संख्या 3

17. इस स्थिति से पूरी तरह से अवगत है कि पालम गैस सेवा (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय व्यावहारिक रूप से निर्धारिती के खिलाफ वर्तमान मामले के सार को शामिल करता है, निर्धारिती-अपीलार्थी के विद्वान वकील ने विचाराधीन अस्वीकृति के खिलाफ बहस करने के लिए कुछ वैकल्पिक प्रयास किए हैं।

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 01.04.2005 से प्रभाव केवल लागू होगा। वित्तीय वर्ष 2005-2006 से और इसलिए, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से संबंधित वर्तमान मामले में लागू नहीं हो सकता है। विद्वान वकील ने, निश्चित रूप से, कलकत्ता के निर्णय से इस तर्क का समर्थन किया

पी. आई. यू. घोष (ऊपर) के मामले में उच्च न्यायालय।

17.1. 1 . आगे बढ़ने से पहले, यह अवलोकन करना उचित प्रतीत होता है, जैसा कि अनुच्छेद 7.3 में पहले संकेत दिया गया है, कि आदेश की प्रति में

इस मामले में आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 40 में संशोधन के लागू होने की तारीख पर स्पष्ट मुद्रण संबंधी त्रुटि है क्योंकि उक्त संशोधन को 01.04.2005 से लागू किया गया था न कि 01.04.2004 से।

आई. टी. ए. टी. के आदेश की प्रति के रूप में। हालाँकि, यह त्रुटि भौतिक असर वाली नहीं है क्योंकि विचाराधीन संशोधन मूल्यांकन वर्ष 2005-2006 से और उसके लिए लागू था, इन्फ्रा होने वाले कारणों के लिए। 17.2 . इस मामले में आग्रह की गई दलीलों पर लौटते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पी. आई. यू. घोष (ऊपर) में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वास्तव में वह दृष्टिकोण अपनाया जो अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रचार किया है।

हमारे सामने। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि उक्त वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 को 10.09.2004 पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और यह प्रावधान किया गया है कि विचाराधीन प्रावधान 01.04.2005 से प्रभावी होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अनुसार, निर्धारिती के पास श्री चौधरी परिवहन कंपनी v नहीं हो सकती थी।

आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

10.09.2004 से पहले यह अनुमान लगाया गया था कि स्रोत पर कर की कटौती किए बिना किसी ठेकेदार को भुगतान की गई कोई भी राशि धारा 40 के तहत आय की गणना में कटौती योग्य नहीं होने की संभावना थी और यह कि विधायिका, संभावित दुर्दशा से अवगत होने के कारण, बशर्ते कि प्रावधान 01.04.2005 से प्रभावी हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि कोई भी अन्य व्याख्या निर्धारिती को उसकी बिना किसी गलती के दंडित करने के बराबर होगी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उपखंड (आई. ए.) को सम्मिलित करते हुए उक्त वित्त अधिनियम की धारा 11 में यह प्रावधान नहीं है कि यह निर्धारण वर्ष 2005-2006 से प्रभावी होना था। हम कर सकते हैं पी. आई. यू. घोष के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की राय को उपयोगी रूप से पुनः प्रस्तुत करें, जैसा कि नीचे दिया गया है। आई. टी. आर. का 326):

" 9. मान लीजिए, वित्त अधिनियम, 2004 को 10 सितंबर, 2004 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। निर्धारिती 10 सितंबर, 2004 से पहले यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि स्रोत पर कर की कटौती किए बिना किसी ठेकेदार को भुगतान की गई कोई भी राशि धारा 40 के तहत कटौती योग्य नहीं होगी। यह मान लेना मुश्किल है कि विधानमंडल नहीं था उपरोक्त दुर्दशा से अवगत थे या उनका पूर्वानुमान नहीं था। द.

अतः विधानमंडल ने प्रावधान किया कि यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2005 से लागू हो जाएगा। कोई अन्य व्याख्या निर्णय के बाद "निर्धारिती को उसकी कोई गलती नहीं होने पर दंडित करने" के बराबर होगी।

हिन्दुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट्स लिमिटेड (ऊपर) का मामला।

10. इसके अलावा, श्री अग्रवाल ने केवल धारा 4 पर भरोसा किया।

किसी विशेष निर्धारण वर्ष में प्रभारित किए जाने वाले कर की दर के संबंध में एक अधिनियम का प्रावधान है जिसका हमारे समक्ष कोई आवेदन नहीं है। वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 की धारा 11, जिसके द्वारा उपखंड (आई. ए.) को आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) में जोड़ा गया था, में यह प्रावधान नहीं है कि वह प्रभावी होने वाला था।

मूल्यांकन वर्ष 2005-06 से। यह केवल इतना कहता है कि यह 1 अप्रैल, 2005 को प्रभावी हो जाएगा, जिसका अर्थ पहले से चर्चा किए गए कारणों से वित्तीय वर्ष को संदर्भित करना होना चाहिए। इस प्रकार, किसी भी अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है और न ही भ्रम की कोई गुंजाइश है।

17.3 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि राजस्व ने उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया है और कोई अपील दायर नहीं की है

उसी के खिलाफ। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि कटौती की राशि

उक्त मामला केवल एक करोड़ रुपये का था। 4,30,386 / - और जाहिर है, उस मामले में शुद्ध कर प्रभाव, जो 12.07.2016 पर तय किया गया था, निचले हिस्से पर था। किसी भी मामले में, उक्त निर्णय को केवल इस विषय पर कानून की अंतिम घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके खिलाफ अपील नहीं की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लागू कानून की जांच करने के बाद, हमें कलकत्ता उच्च न्यायालय की उपरोक्त राय को मंजूरी देना मुश्किल लगता है, विशेष रूप से जब यह इस योजना के अनुरूप नहीं दिखता है - 1961 के अधिनियम के तहत आयकर का निर्धारण और जहां उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 40 (ए) के खंड (आई. ए.) के प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया है, जो विचाराधीन संशोधन का हिस्सा है।

17.4 . इसे आयकर में शायद ही किसी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।

मामलों में, लागू किया जाने वाला कानून वह है जो विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष में लागू है, जब तक कि स्पष्ट इरादे से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा अन्यथा नहीं कहा गया हो। 1961 के अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, आयकर का प्रभार किसी भी निर्धारण वर्ष के संदर्भ में, किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में, इस उद्देश्य के लिए किसी भी केंद्रीय अधिनियम में प्रदान की गई दर या दरों पर है। अधिनियम की धारा 3 में "पिछला वर्ष" शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "निर्धारण वर्ष से तुरंत पहले का वित्तीय वर्ष" और "निर्धारण वर्ष" शब्द को अधिनियम की धारा 2 के खंड (9) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाले बारह महीनों की अवधि"।

17.5 . आय-कर आयुक्त के मामले में, पश्चिम

बंगाल बनाम. इस्थमियन स्टीमशिप लाइन्सः (1951) 20 आई. टी. आर. 572, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मौलिक सिद्धांत को उजागर किया कि 'आयकर मामलों में लागू किया जाने वाला कानून निर्धारण वर्ष में लागू कानून है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो या निहित न हो।' इस निर्णय और विभिन्न अन्य निर्णयों पर इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा करीमथारूवी टी एस्टेट लिमिटेड बनाम के मामले में विचार किया गया था। केरल राज्यः (1966) 60 आई. टी. आर. 262 और सिद्धांतों को निम्नलिखित शर्तों (पीपी पर) में निर्धारित किया गया था। 264-266 आई. टी. आर.):

किसी भी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन संशोधित किया जाना चाहिए। उस वर्ष के मूल्यांकनों पर लागू करें। में कोई भी संशोधन

अधिनियम जो अप्रैल के पहले दिन के बाद लागू होता है

एक वित्तीय वर्ष, उसके लिए मूल्यांकन पर लागू नहीं होगा

वर्ष, भले ही मूल्यांकन वास्तव में के बाद किया जाता है

संशोधन लागू होते हैं।

***

***

***

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है।

आय आयुक्त में-कर V. इस्थमियन स्टीमशिप लाइन्स, जहाँ यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः

श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी v. आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

पंक्तियाँः (1) 1 अप्रैल, 1940, जब यह अधिनियम लागू हुआ, और (2) 1 अप्रैल, 1939, जो इसमें उल्लिखित तिथि है।

संशोधित प्रावधान। पहला सवाल जिसका जवाब दिया जाना चाहिए वह है

क्या ये तिथियाँ लेखांकन वर्ष पर लागू होनी हैं या

मूल्यांकन का वर्ष। उन्हें आवेदन करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए

निर्धारण वर्ष, क्योंकि आय-कर मामलों में कानून होना चाहिए

केवल 1940-41 के निर्धारण वर्ष को प्रभावित किया, क्योंकि संशोधन 1 अप्रैल 1940 तक लागू नहीं हुआ था।

इसका मतलब है कि पुराना कानून हर मूल्यांकन वर्ष पर लागू होता है। मूल्यांकन वर्ष 1939-40 तक और शामिल करें। ”

यह निर्णय इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण है कि हालांकि

प्रभार का विषय पिछले वर्ष की आय है, लागू किया जाने वाला कानून यह है कि निर्धारण वर्ष में लागू,

जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो या निहित न हो। उक्त तथ्य

निर्णय अलग और विशिष्ट हैं और उच्च न्यायालय था

स्पष्ट रूप से उस निर्णय को वर्तमान के तथ्यों पर लागू करने में त्रुटि

मामला "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

17.6 . हमें इस विषय पर मामले के कानून पर गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि

उपरोक्त सिद्धांत स्थिर और निर्विवाद बने हुए हैं। इन सिद्धांतों को मामले में लागू करते हुए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि विचाराधीन प्रावधान, 01.04.2005 से प्रभावी होने के बाद, मूल्यांकन वर्ष 2005-2006 से और उसके लिए लागू होगा और विचाराधीन मूल्यांकन के लिए लागू होगा। इसे अलग तरह से रखते हुए, विधायिका ने जानबूझकर अधिनियम की धारा 40 (ए) के उक्त उप-खंड (आई. ए.) को 01.04.2005 से प्रभावी बना दिया, जिसका अर्थ है कि यह उसी से लागू होना था।

और निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए; और न तो व्यक्त इरादा था और न ही कोई निहितार्थ था कि यह केवल वित्तीय वर्ष 2005-2006 से लागू होगा।

17.7 . पी. आई. यू. मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणियां

घोष (ऊपर) वित्तीय वर्ष 2004-2005 के संबंध में किसी निर्धारिती के प्रति संभावित पूर्वाग्रह के संबंध में, हमारे विचार में, किसी भी कानूनी शिकायत या कानूनी पूर्वाग्रह से संबंधित नहीं है। अधिनियम की धारा 194सी के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता पहले से ही मौजूद थी और यह थी टी. डी. एस. और [2020] 8 एस. सी. आर. की ऐसी कटौती करने के लिए अपीलार्थी का बाध्य कर्तव्य।

राजस्व के लिए भी ऐसा ही करें। धारा 201 भी अस्तित्व में थी जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कटौती करने में चूक अपीलार्थी को "चूक में निर्धारिती" बना देगी। अपीलार्थी यह सुझाव नहीं दे सकता है कि भले ही उसके द्वारा किए गए भुगतानों पर टी. डी. एस. का दायित्व धारा 194 सी (2) के आधार पर मौजूद था, उसने ऐसे दायित्व का सम्मान केवल तभी किया होगा जब वह

चूक का गंभीर परिणाम कि इस तरह के भुगतान में कटौती नहीं की जाएगी

मूल्यांकन तैयार करने के उद्देश्य से।

धारा 200 (1) में निर्धारित समय की समाप्ति के एक वर्ष बाद, ऐसी राशि को पिछले वर्ष की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमत किया जाएगा। जिसमें ऐसा कर का भुगतान किया गया है। परंतुक ने किसी भी वास्तविक निर्धारिती के मामले का प्रभावी ढंग से ध्यान रखा जो स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता का ईमानदारी से पालन करेगा। यह स्पष्ट है कि उक्त परंतुक कलकत्ता उच्च न्यायालय के ध्यान से पूरी तरह से बच गया है

पी. आई. यू. घोष (ऊपर) का मामला। वास्तव में, अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के प्रावधानों के माध्यम से छूट को विभिन्न बाद के संशोधनों के माध्यम से संशोधित किया गया था ताकि लोगों की कठिनाइयों को और कम किया जा सके।

17.8 . वास्तव में, यदि पी. आई. यू. घोष (ऊपर) में प्रस्ताव के साथ पढ़े गए अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 40 (ए) का उपखंड (आई. ए.) केवल वित्तीय वर्ष 2005-2006 से लागू होता है, परिणाम यह होगा कि यह प्रावधान केवल मूल्यांकन वर्ष 2006-2007 से लागू होगा। इस तरह के परिणाम की न तो परिकल्पना की गई है और न ही इसे स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए, यह तर्क कि अधिनियम की धारा 40 के खंड (ए) का उपखंड (आई. ए.) केवल वित्तीय वर्ष 2005-2006 से लागू होगा और वर्तमान मामले में लागू नहीं हो सकता है।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 से संबंधित अस्वीकार कर दिया जाता है। 18. यह पूरक निवेदन कि किसी भी मामले में, 10.09.2004 से पहले किए गए भुगतानों पर अस्वीकृति लागू नहीं की जा सकती है, जिस तारीख को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिली थी, समान रूप से आधारहीन है।

श्री चौधरी परिवहन कंपनी की सहमति की उक्त तिथि v. आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

भारत के राष्ट्रपति का वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 प्रश्नगत प्रावधान के लागू होने की तारीख नहीं है, क्योंकि विशिष्ट तिथि 01.04.2005 के रूप में प्रदान की गई है। बेशक, उक्त तिथि 01.04.2005 (यानी, मूल्यांकन वर्ष 2005-2006) से शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष से संबंधित है।

18.1 . भले ही यह मान लिया जाए कि अपीलार्थी के सुझावों के अनुसार, धारा 40 (ए) (आई. ए.) की आवश्यकताएँ 10.09.2004 पर ज्ञात हो गई हैं, अपीलार्थी कटौती करने के लिए या किसी भी मामले में, उसी वित्तीय वर्ष के दौरान या बाद के वर्ष में भी राजस्व में टी. डी. एस. राशि का भुगतान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता था।

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के परंतुक में उपलब्ध छूट के अनुसार, लेकिन अपीलार्थी ने बस अपने दायित्व से बचने का प्रयास किया और

अपीलार्थी का दृष्टिकोण, जब कानून के साथ टकराव में खड़ा होता है, अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत अस्वीकृति का परिणाम बना रहता है।

अपरिहार्य है।

19. एक अन्य वैकल्पिक प्रयास में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 के माध्यम से,

न केवल आधारहीन है बल्कि किसी भी तर्क से रहित है। न तो वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 द्वारा किए गए संशोधन को इसके प्रतिस्थापन की तारीख से पहले बढ़ाया जा सकता था ताकि मूल्यांकन वर्ष 2005-2006 तक पहुंच सके और न ही कलकत्ता एक्सपोर्ट कंपनी में उक्त निर्णय का वर्तमान मामले या 2014 के वित्त (संख्या 2) अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन के साथ कोई संबंध है।

19.1 . वर्ष 2014 में लाए गए संशोधन द्वारा, विधायिका ने अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत अस्वीकृति की सीमा को कम कर दिया और इसे देय राशि के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। दूसरी ओर, 2010 के वित्त अधिनियम द्वारा, जिस पर कलकत्ता निर्यात कंपनी (उपरोक्त) के मामले में विचार किया गया था, अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के प्रावधान में संशोधन किया गया था ताकि एक वास्तविक निर्धारिती को राहत प्रदान की जा सके जो निर्धारित समय के भीतर कटौती कर जमा नहीं कर सकता था। वास्तव में, वर्ष 2010 से पहले भी, उक्त परंतुक को वित्त अधिनियम [2020] 8 एस. सी. आर. द्वारा संशोधित किया गया था।

और वर्ष 2008 के उस संशोधन को पूर्वव्यापी प्रदान किया गया था

स्वयं विधायिका द्वारा। तैयार संदर्भ के लिए, हम पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं

अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के मुख्य भाग को लागू करें क्योंकि यह

क्रमशः 2008,2010 और 2014 के संशोधनों के बाद,

-13 .

धारा 30 से 38 के विपरीत, निम्नलिखित राशियाँ निम्नलिखित नहीं होंगीः शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना में कटौती की गई

" व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ ",

(क) किसी भी निर्धारिती के मामले में

***

***

***

(i) कोई ब्याज, कमीशन या दलाली, किराया, रॉयल्टी 1 4, शुल्क

पेशेवर सेवाओं या तकनीकी सेवाओं के लिए देय शुल्क के लिए

किसी निवासी को, या किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार को देय राशि,

निवासी होना, किसी भी काम को करने के लिए (श्रम की आपूर्ति सहित)

किसी भी कार्य को करने के लिए), जिस पर स्रोत पर कर की कटौती की जाती है अध्याय XVII-B के तहत और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या,

कटौती के बाद भुगतान नहीं किया गया है,

(ए) ऐसे मामले में जहां कर कटौती योग्य था और इस तरह कटौती की गई थी पिछले वर्ष के अंतिम महीने के दौरान, देय तिथि को या उससे पहले

धारा 139 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट तिथि; या

(बी) किसी अन्य मामले में, पिछले दिन के अंतिम दिन या उससे पहले वर्षः

बशर्ते कि जहां ऐसी किसी राशि के संबंध में कर लगाया गया हो

बाद के किसी भी वर्ष में कटौती की गई है या कटौती की गई है - (ए) पिछले वर्ष के अंतिम महीने के दौरान लेकिन भुगतान के बाद

नियत तारीख कहा गया है; या (बी) पिछले वर्ष के किसी अन्य महीने के दौरान लेकिन भुगतान के बाद

उक्त पिछले वर्ष के अंत में,

प्रावधान के स्पष्टीकरण भाग को हटा दिया गया है, क्योंकि यह उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।

"किराया, रॉयल्टी" शब्द वर्ष 2006 में जोड़े गए थे।

री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी v. आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ऐसी राशि को उस पूर्ववर्ष की आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसा कर का भुगतान किया गया है।

***

****

***

((ii) वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधन के बाद

" 40. कटौती योग्य राशि नहीं। -धारा 30 से 38 में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना में निम्नलिखित राशियों की कटौती नहीं की जाएगी।

(क) किसी भी निर्धारिती के मामले में

***

***

***

((i) कोई ब्याज, कमीशन या दलाली, किराया, रॉयल्टी, पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क जो किसी व्यक्ति को देय हो।

बाद के किसी भी वर्ष में कटौती की गई है, या पिछले वर्ष के दौरान कटौती की गई है, लेकिन उप-धारा में निर्दिष्ट नियत तिथि के बाद भुगतान किया गया है। (1) धारा 139 की ऐसी राशि को उस पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसा कर का भुगतान किया गया हैः

***

***

****

(iii) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधन के बाद

" 40. कटौती योग्य राशि नहीं। -धारा 30 से 38 में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना में निम्नलिखित राशियों की कटौती नहीं की जाएगी। (क) किसी भी निर्धारिती के मामले में

***

***

***

अध्याय XVII-B के तहत स्रोत पर कटौती योग्य है और ऐसा कर है कटौती नहीं की गई है या कटौती के बाद भुगतान नहीं किया गया है या

धारा 139 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नियत तारीख से पहलेः

बशर्ते कि जहां ऐसी किसी राशि के संबंध में कर लगाया गया हो किसी भी बाद के वर्ष में कटौती की गई है, या अवधि के दौरान कटौती की गई है

पिछला वर्ष लेकिन उप-धारा में निर्दिष्ट नियत तिथि के बाद भुगतान किया गया

(1) धारा 139 का तीस प्रतिशत। ऐसी राशि की अनुमति दी जाएगी जैसे कि

पिछले वर्ष की आय की गणना में कटौती जिसमें इस तरह के कर का भुगतान किया गया हैः

बशर्ते कि जहां कोई निर्धारिती पूरी कटौती करने में विफल रहता है

या अध्याय के प्रावधानों के अनुसार कर का कोई भाग

XVII-B ऐसी किसी राशि पर लेकिन निर्धारिती नहीं माना जाता है

धारा 201 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक के तहत चूक,

तब इस उपखंड के प्रयोजन के लिए यह माना जाएगा कि

निर्धारिती ने इस राशि पर कर की कटौती और भुगतान किया है

निर्दिष्ट निवासी प्राप्तकर्ता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि

उक्त परंतुक में "।

*

***

***

***

19.2 . वित्त (सं. 2) अधिनियम द्वारा उपरोक्त संशोधन

2014 विशेष रूप से डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2015 लागू किया गया था और स्पष्ट रूप से विधायिका की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है कि क्या काटा जाना है या क्या निर्धारण वर्ष 2015-2016 से किसी विशेष घटना के लिए कटौती के प्रतिशत की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

19.3 . दूसरी ओर, कलकत्ता एक्सपोर्ट कंपनी के मामले में

(ऊपर), इस न्यायालय ने वित्त अधिनियम, 2008 और वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) में उपरोक्त दो संशोधनों पर ध्यान दिया, जिनका उद्देश्य वास्तविक करदाता के सामने आने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाइयों से निपटना था, जिन्होंने स्रोत पर कर की कटौती की थी, लेकिन

कटौती का दावा करने के लिए निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं कर सके। कलकत्ता एक्सपोर्ट कंपनी में फैसले के पैराग्राफ 17 में, यह न्यायालय वास्तविक कठिनाई के मामले पर ध्यान दिया, विशेष रूप से उन करदाताओं के मामले पर जिन्होंने पिछले वर्ष के अंतिम महीने में स्रोत पर कर की कटौती की थी; और

पैराग्राफ 18 में कहा गया है कि वर्ष 2008 का उक्त संशोधन था 15 इस प्रावधान को वर्ष 2008 में और फिर वर्ष 2010 में प्रतिस्थापित किया गया था। और फिर, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित किया गया।

16 यह परंतुक 2012 के अधिनियम संख्या 23 द्वारा जोड़ा गया था।

श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी v. आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

इस तरह की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से लाया गया। वर्ष 2008 के उक्त संशोधन को पुनः प्रस्तुत करने और इसके पूर्वव्यापी होने पर ध्यान देने के बाद

इस न्यायालय ने 2008 के बाद प्राप्त स्थिति पर विचार किया, जहां अभी भी निर्धारिती का एक वर्ग बना हुआ है जो पिछले वर्ष में टीडीएस राशि के लिए कटौती का दावा नहीं कर सकते थे जिसमें कर की कटौती की गई थी और जो अगले वर्ष में ही ऐसी कटौती के लाभ का दावा कर सकते थे; और,

यह पता लगाने के बाद कि वर्ष 2010 के संशोधन का उद्देश्य इस स्थिति को सुधारना था, यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त संशोधन, उपचारात्मक प्रकृति का होने के कारण, धारा 40 (ए) (आई. ए.) को शामिल करने की तारीख से पूर्वव्यापी संचालन दिया जाना आवश्यक है।

19.4 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कलकत्ता एक्सपोर्ट कंपनी में निर्णय के केवल अंतिम भाग का उल्लेख किया है, लेकिन

इस न्यायालय द्वारा 2008 और 2010 के संशोधनों के कारणों के पूरे संश्लेषण को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस न्यायालय ने यह क्यों माना कि वर्ष 2010 का संशोधन पूर्वव्यापी होगा।

ऑपरेशन। हम उपयोगी रूप से प्रासंगिक चर्चा को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं और कलकत्ता एक्सपोर्ट कंपनी में इस न्यायालय का विवरण इस प्रकार हैः -(पीपी में। 663-666 आई. टी. आर.):

" 19. वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा किए गए उपरोक्त संशोधनों में इस प्रकार प्रावधान किया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत मार्च महीने में किए गए खर्च के संबंध में कोई अस्वीकृति नहीं दी जाएगी यदि ऐसे खर्च पर स्रोत पर कर की कटौती की जाती है।

रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पहले भुगतान कर दिया गया है। यह है।

यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि संशोधन दिया गया था

अप्रैल 1,2005 की तारीख से पूर्वव्यापी संचालन, यानी

प्रावधान के प्रतिस्थापन की तारीख।

20. इसलिए, 2008 में उक्त संशोधन के बाद, निर्धारिती को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, अर्थात्ः एक, जिन्होंने पिछले वर्ष के अंतिम महीने के दौरान उस कर की कटौती की है और दो, जिन्होंने पिछले वर्ष के शेष ग्यारह महीनों में कर की कटौती की है। यह प्रावधान किया गया था कि पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले निर्धारिती के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत कोई अस्वीकृति नहीं दी जाएगी यदि उनके द्वारा पिछले वर्ष के अंतिम महीने के दौरान काटा गया कर -

उक्त पिछले वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के प्रावधानों के अनुसार विवरणी दाखिल करने के अंतिम दिन या उससे पहले भुगतान किया गया था। यदि निर्धारिती इसके अंतर्गत आते हैं दूसरी श्रेणी ,
[2020] 8 एस. सी. आर. की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत कोई अस्वीकृति नहीं।

आय-कर अधिनियम जिसमें कर की कटौती पिछले वर्ष के अंतिम महीने से पहले की गई थी और उसे पिछले वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को जमा किया गया था। शुद्ध प्रभाव यह है कि निर्धारिती पिछले वर्ष में टी. डी. एस. राशि के लिए कटौती का दावा नहीं कर सकता था जिसमें कर की कटौती की गई थी और ऐसी कटौती का लाभ अगले वर्ष में ही दावा किया जा सकता है।

21. हालांकि इस संशोधन ने पहली श्रेणी में आने वाले कर निर्धारकों की चिंताओं को दूर किया है, लेकिन दूसरी श्रेणी में आने वाले मामले के संबंध में, यह अभी भी अनपेक्षित परिणाम दे रहा था और उन कर निर्धारकों के लिए गंभीर और वास्तविक कठिनाइयों का कारण बन रहा था जिन्होंने प्रासंगिक टीडीएस का काफी हद तक पालन किया था।

22. इस स्थिति को सुधारने के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो ऐसे दूसरे से संबंधित निर्धारिती को हो रही थीं इस श्रेणी में, वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा धारा 40 (ए) (आई. ए.) के प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं।

***

***

***

24. इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 2010 ने आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) की कठोरताओं में और ढील दी ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पिछले वर्ष के दौरान किए गए सभी टी. डी. एस. को सरकार के पास जमा किया जा सके। आय विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि तक। विचार यह था कि कटौतीकर्ताओं को इस तरह से बनाया गया टीडीएस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। हालांकि, के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

वित्त विधेयक, 2010 का स्पष्ट रूप से निम्नलिखित उल्लेख किया गया है: यह संशोधन अप्रैल से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होने का प्रस्ताव है।

1 , 2010 और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2010-11 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा। 99 "

25. उपरोक्त संशोधन को लेकर विवाद था क्या यह संशोधन उपचारात्मक प्रकृति का होने के कारण एच. आर. ई. चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी v को लागू किया जाना चाहिए।

आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

पूर्वव्यापी रूप से, अर्थात, के प्रावधानों को शामिल करने की तारीख से

धारा 40 (ए) (आई. ए.) या प्रवर्तन की तारीख से लागू होगी।

***

***

***

27. एक परंतुक जिसे अनपेक्षित परिणामों को सुधारने के लिए जोड़ा जाता है और प्रावधान को व्यवहार्य बनाने के लिए, एक परंतुक जो एक

खंड में स्पष्ट चूक, में पढ़ा जाना आवश्यक है

संचालन में पूर्वव्यापी के रूप में माना जाए ताकि एक उचित खंड की व्याख्या समग्र रूप से की जा सकती है।

28. वित्त अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का उद्देश्य,

2010 यह उन विसंगतियों को हल करने के लिए है जो धारा 40 (ए) (आई. ए.) का सम्मिलन है।

प्रामाणिक कर दाता के लिए कारण बन रहा था। संशोधन, भले ही

पूर्वव्यापी रूप से ऑपरेशन नहीं दिया गया है, भौतिक रूप से नहीं हो सकता है

राजस्व का परिणाम जब कर की दरें स्थिर हों और समान या बड़े कर निर्धारकों के मामलों में जिनका पर्याप्त कारोबार है

और समान रूप से भारी खर्च और अवशोषित करने के लिए आवश्यक कुशन प्रभाव पड़ता है। हालांकि, सीमांत और मध्यम करदाता, जो काम करते हैं

कम सकल उत्पाद दर और जब खर्च जो बन जाता है

धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत एक आदेश की विषय वस्तु पर्याप्त है,

यदि संशोधन किया जाता है तो गंभीर प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं

2010 में पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया गया है, यानी, की तारीख से

प्रावधान का प्रतिस्थापन। खर्चों का हस्तांतरण या स्थानांतरण

बाद के वर्ष, ऐसे मामलों में, प्रतिकूल को मिटा नहीं पाएगा।

प्रभाव और वित्तीय तनाव। ऐसा इरादा नहीं हो सकता है विधायिका। अतः वित्त अधिनियम द्वारा किया गया संशोधन,

2010 प्रकृति में उपचारात्मक होने के लिए पूर्वव्यापी दिए जाने की आवश्यकता है

संचालन, अर्थात, उक्त प्रावधान को शामिल करने की तारीख से।

19.5 . उपरोक्त निष्कर्षण पर एक नंगी नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि

इस न्यायालय ने "पूर्वव्यापी कार्रवाई" के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया है कि वर्ष 2010 का अंत, उपचारात्मक प्रकृति का होने के कारण, विचाराधीन प्रावधान को शामिल करने की तारीख यानी अधिनियम की धारा 40 (ए) में लागू होगा। यह स्थिति होने के कारण, इसे ढूंढना मुश्किल हैइस तर्क में सार है कि इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए सिद्धांत-कलकत्ता निर्यात कंपनी (उपरोक्त) का मामला उपचारात्मक अंत से संबंधित है, जो कटौती किए गए टी. डी. एस. को जमा करने से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलुओं से अधिक संबंधित है, मूल के संशोधन पर लागू किया जाए।

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 का दृष्टिकोण।

19.6 . हम पारित होने में यह देख सकते हैं कि निर्धारिती-अपीलार्थी या तो इस गलत धारणा के तहत काम कर रहा था कि वह नहीं था

टी. डी. एस. में कटौती करने की आवश्यकता या इस गलत धारणा के तहत कि एकल भुगतान को रुपये से कम के भागों में विभाजित करने की पद्धति। 20,000 / - उसे अस्वीकृति प्रदान करने वाले अधिनियम के प्रावधानों की कठोरता से बचना होगा। किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी एक प्रामाणिक निर्धारिती नहीं था जिसने कटौती की थी और बाद में इसे जमा किया था। जाहिर है, अपीलार्थी उन लाभों को प्राप्त नहीं कर सकता था जो 2008 और 2010 के उपचारात्मक संशोधनों द्वारा अन्यथा उपलब्ध थे। प्रत्येक चरण में चूक करने के बाद, निर्धारिती-अपीलार्थी की ओर से वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 द्वारा अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के संशोधन में कुछ सहायता लेने के प्रयास को केवल पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है।

आधारहीन, बल्कि बेतुका। 19.7 . इसलिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर भी नकारात्मक में दिया जाता है, अर्थात, निर्धारिती-अपीलार्थी के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में।

प्रश्न संख्या 4

20. अंत में इस मामले में मूल प्रश्न का उत्तर देने से पहले कि क्या विचाराधीन भुगतानों को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है

कटौती, हम उपयोगी रूप से प्रश्न संख्या के उत्तरों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। 1 3 तक कि धारा 194 सी के प्रावधान वास्तव में लागू थे और निर्धारिती-अपीलार्थी माल के परिवहन के अपने व्यवसाय के उद्देश्य से वाहनों को किराए पर लेने के लिए उसके द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए बाध्य था; कि अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत अस्वीकृति केवल बकाया राशि तक ही सीमित नहीं है और यह प्रावधान उन खर्चों के संबंध में समान रूप से लागू होता है जो पहले से ही थे। निर्धारिती द्वारा किया गया और भुगतान किया गया; वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 961 के अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) के तहत 01.04.2005 से प्रभावी अस्वीकृति निर्धारण वर्ष 2005-2006 से संबंधित मामले में लागू होती है; और यह कि प्रश्नगत प्रावधान के लिए वर्ष 2014 में किए गए संशोधन का लाभ वर्तमान मामले में अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं है। ये उत्तर व्यावहारिक रूप से मामले को समाप्त करते हैं लेकिन हमने अनिवार्य रूप से प्रश्न संख्या 4 तैयार किया है ताकि अपीलार्थी को होने वाले पूर्वाग्रह के बारे में प्रस्तुतियों के अंतिम अंग से निपटा जा सके।

21. अस्वीकृति के कारण संभावित पूर्वाग्रह के बारे में अपीलार्थी की ओर से दिया गया सुझाव तीन मामलों के लिए अस्वीकार किए जाने योग्य है।

प्रमुख कारण। सबसे पहले, यह श्री चौधरी परिवहन कंपनी बनाम से संबंधित प्रावधानों से स्पष्ट है।

आय कर अधिकारी [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अधिनियम के अध्याय IV के भाग D में कटौती की अस्वीकृति के साथ,

विशेष रूप से अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई. ए.) और 40 ए (3) 1 7 में निहित है कि उक्त प्रावधानों का उद्देश्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों की आवश्यकता के उचित अनुपालन को लागू करना और कर का उचित संग्रह सुनिश्चित करना है और साथ ही पक्षों के व्यवहार में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करना है। अस्वीकृति की आवश्यकता केवल तभी लागू होती है जब प्रावधानों में निर्दिष्ट प्रकृति की चूक होती है। इन प्रावधानों के उद्देश्य को देखते हुए, पूर्वाग्रह या कठिनाई के बारे में सुझावों में कोई सार नहीं है

किसी भी अर्थ में। दूसरा, जैसा कि देखा गया है, मूल रूप से जोड़े गए परंतुक और वर्ष 2008 और 2010 में इसके संशोधनों के माध्यम से, एक वास्तविक करदाता को आवश्यक राहत प्रदान की गई थी, जिसने टीडीएस एकत्र किया था, लेकिन रिटर्न जमा करने से पहले समय के भीतर जमा नहीं कर सका था।

2010 के संशोधन के संबंध में, इस न्यायालय ने इसे पूर्वव्यापी होने का फैसला सुनाया। इस प्रकार संशोधित परंतुक, जाहिर है, एक वास्तविक निर्धारिती के हित की रक्षा करता है जिसने आवश्यकता के अनुसार कटौती की थी और राजस्व को उसी का भुगतान किया था। अपीलार्थी इस तरह की छूट का लाभ उठाने में भी विफल रहा है, अब वह कथित छूट की शिकायत नहीं कर सकता है।

कठिनाई। तीसरा, जैसा कि देखा गया है, अपीलार्थी ने ट्रक माल खाते में रुपये का कुल भुगतान दिखाया था। 1,37,71,206 / - और कंपनी से कुल प्राप्तियाँ रु। 1,43,90,632 / - . जिस राशि की अनुमति नहीं दी गई है, वह राशि है

से रु. 57,11,625 / - जिस पर अपीलार्थी स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल रहा और कंपनी से प्राप्त या भुगतान की गई पूरी राशि नहीं

21.1 . अतः प्रश्न संख्या 4 का उत्तर स्पष्ट रूप से सकारात्मक है अर्थात अपीलार्थी के विरुद्ध और उस राजस्व के पक्ष में है जो भुगतान करता है। निर्धारिती-अपीलार्थी की कुल आय की गणना करते समय प्रश्नगत कटौती की अनुमति उचित रूप से नहीं दी गई है।

निष्कर्ष

22. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए यह अपील विफल हो जाती है और इसलिए, लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी

17 धारा 40 ए (3) में प्रासंगिक समय पर परिकल्पना की गई है कि बीस हजार रुपये से अधिक के व्यय का बीस प्रतिशत, जिसका भुगतान क्रॉस चेक या बैंक ड्राफ्ट के अलावा किया गया था, कटौती के रूप में अनुमत नहीं किया जाएगा।